
छात्र नियम पुस्तिका 2021



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

विषय-सूची

1	निफ्ट के बारे में सामान्य जानकारी	6
1.1.	प्रस्तावित कार्यक्रम	6
1.2.	कार्यक्रम संरचना	7
1.2.1.	फाउंडेशन कार्यक्रम	7
1.2.2.	मेजर्स	7
1.2.3.	गहनविशेषज्ञता	7
1.2.4.	अंतर-विषयक माइन्स	7
1.2.5.	सामान्य ऐच्छिक	8
1.2.6.	फ्लोटिंग क्रेडिट्स	9
1.3	निफ्ट में अपनाई जाने वाली क्रेडिट गणना	9
1.4	शिक्षाशास्त्र	10
1.4.1.	शैक्षणिक संव्यवहार	10
1.4.2.	सतत मूल्यांकन	11
2	यूजी/पीजी कार्यक्रमों के लिए निफ्ट में प्रवेश को नियमित करने और रद्द करने और वापस लेने के लिए अनंतिम प्रवेश और पात्रता	11
3	छात्र पंजीकरण संख्या और पहचान-पत्र	11
4	शुल्क	12
5	शुल्क और प्रतिभूति जमा की वापसी	14
6	अनुशासन और आचरण के मुद्दे	15
6.1.	सामान्य आचरण नियम	15
7	कदाचार की परिभाषा	17
7.1.	रैगिंग	18
7.2.	शैक्षणिक अनियमितताएं	18
7.2.1.	धोखा	19
7.2.2.	साहित्यिक चोरी	19
7.2.3.	मिलीभगत	20
7.2.4.	आईपीआर	20
7.3.	अनुशासनात्मक प्रक्रिया दिशानिर्देश	20
7.3.1.	मामूली अनुशासनात्मक उल्लंघन के लिए जुर्माना	20

7.3.2.	बड़े अनुशासनात्मक उल्लंघन के लिए जुर्माना	21
7.4.	परीक्षाओं/जूरी/मूल्यांकन के दौरान शैक्षणिक अनियमितताओं के लिए दंड	21
7.5.	अपील प्रक्रिया	22
8	निफ्ट सामाजिक मीडिया नीति	22
8.1.	ऑनलाइन शिष्टाचार	24
8.2.	सामाजिक मीडिया उल्लंघन के लिए जुर्माना	24
9	उपस्थिति	24
9.1.	निफ्ट में उपस्थिति की आवश्यकताएं	25
9.2.	सूचना के बिना अनुपस्थिति	25
9.3.	पाठ्यक्रम की अवधि	26
9.4.	अनुपस्थिति की छुट्टी	26
10	निफ्ट में छात्रों की सलाह	26
11	वित्तीय सहायता	27
11.1.	सार्थक- निफ्ट वित्तीय सहायता योजना	27
11.2.	उड़ान- विदेशी अध्ययन के लिए निफ्ट छात्रवृत्ति योजना	28
11.3.	छात्र लैपटॉप नीति	28
12	शिल्प समूहों के लिए छात्रों की यात्रा	28
12.1.	छात्रों द्वारा विभिन्न शिल्प समूहों की यात्रा के मानदंड	29
12.2.	क्लस्टर दौरे के लिए छात्र आचरण नियम	29
13	इंटरनशिप के साधन	31
13.1.	प्रक्रिया	31
13.2.	छात्रों को ब्रीफ करना	31
14	निफ्ट में परीक्षाएं और मूल्यांकन	32
14.1.	पुनर्मूल्यांकन	34
14.2.	परीक्षा के आयोजन के लिए सामान्य दिशानिर्देश	34
14.2.1.	परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता मानदंड	34
14.2.2.	अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा विनियम	35
15	एसजीपीए/सीजीपीए के ग्रेड और गणना का देना	36
16	फॉलो-अप परीक्षा	37
16.1.	प्रक्रिया आधारित विषयों में फॉलो-अप	37
16.2.	लिखित परीक्षा के लिए फॉलो-अप	38

16.3.	उद्योग इंटरनशिप/शिल्प आधारित अनिवार्य विषयों के लिए फॉलो-अप	38
16.4.	स्नातक परियोजना/अनुसंधान परियोजना/डिजाइन संग्रह/शोध प्रबंध के लिए अनुवर्ती कार्रवाई	38
17	राष्ट्रीय संसाधन केंद्र का उपयोग करने के लिए मानदंड	39
17.1.	एनआरसी का उपयोग करने के लिए छात्रों के लिए नियम	40
18	छात्रों के आवास सेवाओं के लिए मानदंड	41
18.1.	छात्रावास आचरणनियम	42
19	निफ्ट में चिकित्सा सुविधाएं	44
20	छात्र पाठ्येतर गतिविधियां	45
20.1.	फेशन स्पेक्ट्रम	45
20.2.	निफ्ट कनवर्ज	46
21	छात्रों के लिए विशेष सेवाएं	46
21.1.	निफ्ट वाईफाई	46
21.2.	अंतर्राष्ट्रीय सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए शुल्क में छूट	46
21.3.	शिक्षा ऋण	46
21.4.	सेमेस्टर दोहराने वाले छात्रों के लिए सुविधाएं	47
21.5.	प्रायोजन में योगदान के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन	47
22	निफ्ट के नियमित यूजी/पीजीकार्यक्रम के छात्रों के लिए छात्र इंटर कैंपसअस्थाई स्थानांतरण नीति (आईसीटीपी)	47
22.1.	आईसीटी की प्रयोज्यता	48
22.2.	आईसीटी की प्रक्रिया	48
22.3.	आईसीटी के लिए अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क	49
23	निफ्ट के नियमित यूजी/पीजीकार्यक्रम के छात्रों के लिए छात्र स्थाई स्थानांतरण (एसपीटी) नीति	49
23.1.	एसपीटी नीति की प्रयोज्यता	49
23.2.	एसपीटी की प्रक्रिया	50
23.3.	एसपीटी के लिए अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क	50
24	छात्र सहायक कार्यक्रम (एसएपी)	50
24.1.	उपलब्ध नौकरियों के प्रकार	51
24.2.	क्या करें और क्या न करें	52
24.3.	एसएपी के लिए प्रक्रिया	52

24.4.	छतिपूति	53
25.	छात्र पुरस्कार	54
25.1.	दीक्षांत पुरस्कार	54
25.2.	निफ्ट स्नातक समारोह पुरस्कार	54
25.3.	उद्योग प्रायोजित पुरस्कार	54
26	छात्रों के लिए शिकायत समाधान प्रक्रिया	54
27	निफ्ट के छात्रों का यौन उत्पीड़न	55

निफ्ट के पूर्णकालिक स्नातक-पूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम/पीएचडी कार्यक्रमों के छात्रों के लिए नियम और विनियम

छात्र नियम पुस्तिका एक दस्तावेज है जिसमें विभिन्न नियमों को सूचीबद्ध किया गया है जिनका निफ्ट में पूर्णकालिक कार्यक्रमों के अंतर्गत नामांकित छात्रों द्वारा अनुपालन किया जाना है। ये नियम राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सभी निफ्ट कैंपसों में पूर्णकालिक स्नातक-पूर्व डिग्री कार्यक्रम/स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम/पीएचडी कार्यक्रमों के सभी छात्रों पर लागू होंगे।

1. निफ्ट के बारे में सामान्य जानकारी

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) को फैशन शिक्षा में अगुआ के रूप में जाना जाता है, जिसमें ज्ञान, शैक्षणिक स्वतंत्रता, समीक्षात्मक स्वतंत्रता, रचनात्मक चिंतन को एकीकृत करने की क्षमता है। साढ़े तीन दशकों से अधिक समय तक अस्तित्व में रहने का इतिहास हमारे आधारभूत सिद्धांतों के प्रमाण के रूप में है, जहां शैक्षणिक उत्कृष्टता मूल में निहित है। संस्थान सत्रह व्यावसायिक रूप से प्रबंधित केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से फैशन शिक्षा की कल्पना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

1.1. प्रस्तावित कार्यक्रम

निफ्ट स्नातक-पूर्व स्तर पर निम्नलिखित विशेषज्ञताओं में डिग्री कार्यक्रम प्रदान करता है:

- फैशन कम्युनिकेशन (एफसी)
- फैशन डिजाइन (एफडी)
- एक्सेसरी डिजाइन (एडी)
- निटवियर डिजाइन (केडी)
- लेदर डिजाइन (एलडी)
- टेक्सटाइल डिजाइन (टीडी)
- फैशन टेक्नोलॉजी (बी. एफटेक)

इसके अलावा, निफ्ट स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित विशेषज्ञताओं में डिग्री कार्यक्रम प्रदान करता है:

- डिजाइन में (एम.डिजाइन)
- फैशन मैनेजमेंट में (एम.एफएम)
- फैशन टेक्नोलॉजी में (एम.एफटेक)

सभी कैंपसों में सभी पाठ्यक्रमों की प्रस्तावित कश नहीं की जाती है।

1.2. कार्यक्रम संरचना

निफ्ट बड़ी कंपनियों, विशेषज्ञताओं, लघु उद्योगों और सामान्य ऐच्छिक को सुदृढ़ करने का प्रारूप अंगीकार करता है। शिल्प क्लस्टर पहल को पाठ्यक्रम में एकीकृत किया गया है। पाठ्यक्रम का ध्यान कक्षा परियोजनाओं, इंटरनशिप और उद्योग परिवेश में भागीदारी के माध्यम से छात्रों के लिए उद्योग संपर्क में वृद्धि करने पर केंद्रित है।

1.2.1. फाउंडेशन कार्यक्रम

निफ्ट में स्नातक-पूर्व कार्यक्रम एक वर्ष की अवधि के मिश्रित-समूह फाउंडेशन अध्ययन के साथ शुरू होते हैं। यह कार्यक्रम डिजाइन और प्रौद्योगिकी में सभी 4 वर्षों के स्नातक कार्यक्रमों का एक घटक है। फाउंडेशन कार्यक्रम का उद्देश्य नए छात्रों को परस्पर-अनुशासनात्मक परिवेश प्रदान करना है। निफ्ट के छात्रों को एक वर्ष के फाउंडेशन कार्यक्रम के दौरान प्रति सेमेस्टर 30 क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता है, जिसमें सामान्य ऐच्छिक के 04 क्रेडिट शामिल हैं।

1.2.2. मेजर्स

मेजर्स निफ्ट में प्रस्तावित किए जाने वाले विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विषयों का एक समूह है, जहां छात्र उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें वह विशेषज्ञ होना चाहता है। 'मेजर्स' एक श्रृंखला या अनिवार्य विषयों को संदर्भित करता है कि किसी विशेष कार्यक्रम के सभी छात्रों को अगले सेमेस्टर में जाने से पूर्व इसे पूरा करने की आवश्यकता है।

1.2.3. गहनविशेषज्ञता

विशेषज्ञता को सुदृढ़ करना विषयों की एक माध्यमिक एकाग्रता है जो मेजर्स का पूरक है और मेजर्स से संबंधित गहन ज्ञान प्रदान करता है। ये विषय भी अनिवार्य हैं और स्नातक-पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक सेमेस्टर में विशिष्ट क्रेडिट समनुदेशित किए गए हैं। डीएस की पसंद का प्रयोग चतुर्थ सेमेस्टर में सभी यूजी डिजाइन के छात्रों द्वारा, यूजी टेक्नोलॉजी के छात्रों द्वारा सेमेस्टर-1 में, एमईएस द्वारा सेमेस्टर-1 में और एमएफएम और एम. एफ.टेक छात्रों द्वारा सेमेस्टर-2 में किया जाएगा। कैंपस द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम पर निर्णय होने के बाद सीएमएस यूजी छात्रों के लिए पिछले सेमेस्टर में बनाए गए सीजीपीए के आधार पर और पीजी छात्रों के लिए मॅरिट रैंक के आधार पर छात्रों को पाठ्यक्रम आवंटित करेंगे। छात्र अपनी वरीयताओं को ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे और वरीयता और उपलब्धता के अनुसार पाठ्यक्रम आवंटित किए जाएंगे। सीजीपीए विषयों के आवंटन का निर्णय करने का मानदंड होगा, किसी और दोहराव/विवाद के मामले में, पहले आओ-पहले पाओ आधार को दूसरे मापदंड के रूप में माना जाएगा। डीएस के अंतिम आवंटन की घोषणा सीएमएस के माध्यम से की जाएगी।

1.2.4. अंतर-विषयक माइनर्स

इन पाठ्यक्रमों में प्रति सेमेस्टर 3 क्रेडिट होते हैं। स्नातक के लिए सेमेस्टर III से VII तक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए सेमेस्टर I से III तक 2.3.4. अंतर-विषयक प्रस्तावित किए जाते हैं। सीएमएस यूजी छात्रों के लिए पिछले सेमेस्टरों में बनाए गए एसजीपीए और पीजी छात्रों के लिए

प्रवेश परीक्षा के दौरान प्राप्त रैंक के आधार पर मेरिट के आधार पर छात्रों को पाठ्यक्रम आवंटित करेंगे। छात्र अपनी वरीयताओं को ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे और वरीयता और उपलब्धता के अनुसार पाठ्यक्रम आवंटित किए जाएंगे। इस प्रकार सीजीपीए विषयों के आवंटन को तय करने का मापदंड होगा; किसी और दोहराव/विवाद के मामले में, पहले आओ-पहले पाओ आधार को दूसरे मानदंड के रूप में माना जाएगा।

1.2.5. सामान्य ऐच्छिक

एक सामान्य ऐच्छिक विषयों का एक सेट है जो छात्रों के सह-पाठ्यक्रम विकास की अनुमति देता है और विभिन्न विशेषज्ञताओं में किए जा रहे पाठ्यक्रमों के पूरक हैं। सामान्य ऐच्छिक स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर दोनों कार्यक्रमों के लिए अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर सभी सेमेस्टर्स में चलेंगे। कार्यक्रम के दौरान स्नातक छात्रों के लिए आवश्यक कौशल सेट प्राप्त किए जाएं, सामान्य ऐच्छिक को अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रत्येक सामान्य ऐच्छिक (अनिवार्य और वैकल्पिक) प्रति सेमेस्टर 28 घंटे और 2 क्रेडिट के लिए होगा। यूजी का एक छात्र सेमेस्टर I और VII के बीच कुल 20 जीईएस क्रेडिट के लिए कुल 10 जीईएस करेगा। ये दो जीई (अनिवार्य और वैकल्पिक) के लिए सेमेस्टर I से III में और एक जीई के बीच सेमेस्टर IV से VII के बीच प्रत्येक के लिए चयन द्वारा किया जा सकता है। पीजी छात्र को सेमेस्टर I और III के बीच कुल 10 क्रेडिट के लिए कुल 5 जीईएस लेने की आवश्यकता होगी। ये सेमेस्टर I और II में दो जीई (अनिवार्य और वैकल्पिक) और सेमेस्टर III में एक जीई के लिए चयन करके किए जा सकते हैं।

यूजी- छात्रों के लिए अनिवार्य सामान्य ऐच्छिक हैं-

क) व्यक्तित्व विकास

ख) समीक्षात्मक चिंतन

ग) भारतीय कला इतिहास

घ) व्यावसायिक नैतिकता और मूल्य

पीजी-छात्रों के लिए अनिवार्य सामान्य ऐच्छिक हैं:

क) व्यावसायिक नैतिकता और मूल्य

एक कार्यक्रम विशिष्ट ऐच्छिक (ये छात्र द्वारा सेमेस्टर-1 या सेमेस्टर-II में लिया जा सकता है)।

- एमएफएम के लिए - अर्थशास्त्र
- एमएफटी के लिए - सिस्टम चिंतन
- एमडीई के लिए। - समीक्षात्मक चिंतन

1.2.6. फ्लोटिंग क्रेडिट्स

फ्लोटिंग क्रेडिट उन छात्रों के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं जिनके पास अधिक अभिग्रहण का उत्साह होता है और डिग्री अर्जित करने के लिए अनिवार्य क्रेडिट आवश्यकताओं के ऊपर क्रेडिट प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। यूजी के छात्र III और VII सेमेस्टर के बीच अधिकतम 10 अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं और पीजी छात्र फ्लोटिंग मेजर क्रेडिट लेकर I और III सेमेस्टर के बीच अधिकतम 6 क्रेडिट अर्जित कर सकता है। फ्लोटिंग विषयके विकल्प की जानकारी विभाग के कैंपस समन्वयक द्वारा छात्रों को दी जाएगी।

यदि कक्षाएं शुरू होने के बाद, छात्र फ्लोटिंग विषय से बाहर निकलना पसंद करता है, तो पंजीकरण के 2 सप्ताह के भीतर विभाग को सूचित किया जाना चाहिए।

छात्र के पास न्यूनतम उपस्थिति मानदंड (65%) को पूरा करके विषय में "ऑडिट" ग्रेड 'एल' प्राप्त करने और दो आंतरिक कार्य (न्यूनतम 50% अंक) का संतोषजनक ढंग से पूरा करनेका विकल्प है। ऐसे में छात्र इस विषय के लिए और टर्म असेसमेंट के लिए उपस्थित नहीं हो सकते हैं। हालांकि, छात्र को विषयों की सभी कक्षाओं के पूरा होने के 2 दिनों के भीतर अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए उपस्थित नहीं होने के विकल्प के बारे में विभाग को सूचित करने की आवश्यकता है।

फ्लोटिंग क्रेडिट की उपस्थिति सेमेस्टर की समग्र उपस्थिति की गणना में शामिल नहीं की जाएगी।

फ्लोटिंग विषयों में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को अंक-तालिका में अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा और इससे छात्र के सीजीपीए की समग्र गणना प्रभावित नहीं होगी।

1.3. निफ्ट में अपनाई जाने वाली क्रेडिट गणना

- व्याख्यान: 1 घंटे/सप्ताह = 1 क्रेडिट
- ट्यूटोरियल: 1 घंटे/सप्ताह = 1 क्रेडिट
- प्रैक्टिकल/स्टूडियो वर्क: 1 घंटे/सप्ताह = 1 क्रेडिट
- स्व-अध्ययन/स्टूडियो प्रैक्टिस: 3 घंटे/सप्ताह = 1 क्रेडिट
- इंटर्नशिप: 1 सप्ताह = 1 क्रेडिट
- स्नातकपरियोजना: 1 सप्ताह = 2 क्रेडिट

स्नातक-पूर्व कार्यक्रम	वर्ग	क्रेडिट
फाउंडेशन कार्यक्रम (सेमेस्टर I और सेमेस्टर II)	अनिवार्य	52
सेमेस्टर III से सेमेस्टर VII @ प्रति सेमेस्टर 23 क्रेडिट	अनिवार्य	128
सेमेस्टर VIII (स्नातक परियोजना)	अनिवार्य	32
स्टैंड-अलोन विषय (इंटर्नशिप, प्रशिक्षण और क्लस्टर)	अनिवार्य	10 -12

सामान्य ऐच्छिक (स्टैंड-अलोन)	अनिवार्यऔर ऐच्छिक	20
कुल न्यूनतम क्रेडिट		242- 244
फ्लोटिंग विषय	(ऐच्छिक)	10
कुल अधिकतम क्रेडिट		252/254

स्नातकोत्तर कार्यक्रम	वर्ग	क्रेडिट
सेमेस्टर I सेसेमेस्टर III @ प्रति सेमेस्टर 23 क्रेडिट	अनिवार्य	74
सेमेस्टरIV (स्नातक परियोजना)	अनिवार्य	32
स्टैंड-अलोन विषय (इंटरनशिप और क्लस्टर)	अनिवार्य	8
सामान्य ऐच्छिक (स्टैंड-अलोन)	अनिवार्यऔर ऐच्छिक	10
कुल न्यूनतम क्रेडिट	-	124
फ्लोटिंग विषय	ऐच्छिक	06
कुल अधिकतम क्रेडिट		130

1.4. शिक्षाशास्त्र

1.4.1. शैक्षणिकसंव्यवहार

निफ्ट में शैक्षणिक संव्यवहार की कार्यप्रणाली का उद्देश्य छात्र को विषय, संदर्भ और पर्यावरण की समग्र समझ और कुछ नया करने और अनुकूलन करने के लिए सक्षम बनाना है। निफ्ट में अध्ययन संपर्क घंटे, स्टूडियो अभ्यास, समूह कार्य और स्व अध्ययन का एक संयोजन है। यह प्रतिबिंब के माध्यम से करने और अभिग्रहण से अभिग्रहण पर जोर देने के साथ एक इमर्सिव अभिग्रहण का अनुभव भी प्रदान करता है।

निफ्ट के सभी छात्रों को एक शिल्प क्लस्टर के साथ इमर्सिव अनुभव दिया जाएगा। अनुभव में मास्टर कारीगरों द्वारा व्याख्यान प्रदर्शन शामिल है, और न केवल तकनीकों और अभ्यास को समझने के लिए शिल्प क्लस्टर की यात्रा, बल्कि शिल्प के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक मूरिंग भी शामिल हैं। इसमें उत्पाद विकास, ब्रांडिंग या विपणन के सह निर्माण और डिजाइन सम्मिश्रण के अवसर होंगे।

प्रत्येक छात्र के पास विषय संरक्षक के अलावा एक शैक्षणिक संरक्षक होगा, जो छात्र को उसकी सशक्तता और सुधार के क्षेत्रों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने और छात्र को प्रगाढ़ विशेषज्ञताओं और अंतःविषय माइनर्स के लिए अपनी पसंद के अभ्यास में जानकारी प्रदान करेगा। यह इंटरनशिप और स्नातक परियोजनाओं के दौरान प्रदान की गई शैक्षणिक सलाह के इतर होगा।

निफ्ट में पाठ्यक्रम को उद्योग द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाता है, क्योंकि छात्रों को संस्थागत उद्योग यात्राओं, प्रदर्शनियों और मेलों का दौरा, उद्योग के माहौल में विषय का हिस्सा, उद्योग की सदस्यता और उद्योग ब्रीफ पर आधारित जीवंत कक्षा परियोजनाओं के दौरान उद्योग का अनुभव प्राप्त होता है।

1.4.2. सतत मूल्यांकन

पाठ्यक्रमों में रचनात्मक क्षमता और लचीलापन है और अनेकों कौशल सेट में विशेषज्ञता के साथ सर्वगुण संपन्न स्नातकों तैयार करने की दिशा में सक्षम हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को रचनात्मकता और नवाचार की बारीकियों की सराहना करने के लिए पर्याप्त सूक्ष्म होना चाहिए, लेकिन मूल्यांकन में निष्पक्ष और अत्यंत सुदृढ़ है। निफ्ट में मूल्यांकन की प्रणाली इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसलिए प्रत्येक विषय के लिए आंतरिक असाइनमेंट निफ्ट में एक व्यक्तिगत छात्र की निरंतर प्रगति का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन जाते हैं।

2. यूजी/पीजी कार्यक्रमों के लिए निफ्ट में प्रवेश को नियमित करने और रद्द करने और वापस लेने के लिए अनंतिम प्रवेश और पात्रता

जिस अभ्यर्थी ने निफ्ट में अनंतिम प्रवेश की मांग की है, वह अनिवार्य रूप से अपने कैंपस निदेशक/संयुक्त निदेशक, जहां प्रवेश प्रदान किया गया है, को 30 सितंबर या उससे पहले, अपनी पात्रता का अर्हता प्राप्त डिग्री/प्रमाणपत्र परीक्षा का अंतिम परिणाम प्रस्तुत करेगा।

- i. यदि उम्मीदवार प्रवेश वर्ष के 30 सितंबर को या उससे पहले अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए ऊपर निर्धारित डिग्री परीक्षा का अपना अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश शून्य (रद्द) माना जाएगा और पूरा शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
- ii. 12वीं कक्षा में कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश केवल अनंतिम ही माना जाएगा। उसे उसी बोर्ड के अंतर्गत कंपार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसके न होने पर अनंतिम प्रवेश स्वतः रद्द हो जाएगा और पूरा शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
- iii. आवेदन पत्र में एक बार श्रेणी (सामान्य/एससी/एसटी/पीएचपी/एनआरआई/ईडब्ल्यूएस) भरे जाने के बाद उसे किसी भी स्तर पर नहीं बदला जाएगा। चयनित अभ्यर्थी नियम और शर्तों के अधीन किसी भी समय पाठ्यक्रम से अपना नाम वापस ले सकता है।

3. छात्र पंजीकरण संख्या और पहचान-पत्र

- i. छात्रों को पंजीकरण होने पर संस्थान में प्रवेश के लिए पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। इन पहचान-पत्र पर निम्नलिखित जानकारी अंकित होगी :

- छात्र का नाम

- पंजिका नंबर- केंद्रीय अर्जित**
- स्थायी पता
- कार्ड की वैधता
- छात्र की फोटो

****पंजीकरण पर छात्र को एक स्थायी पंजिका नंबर जारी किया जाएगा जो निफ्ट में अध्ययन की अवधि में वैध होगा। भविष्य में निफ्ट के सभी पत्राचार में इस नंबर का सन्दर्भ देना होगा।**

- छात्रों द्वारा पहचान-पत्र मांगने पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए और हर समय अपने पास रखा जाना चाहिए।
- पहचान-पत्र के खोने या क्षतिग्रस्त होने की सूचना तुरंत कैंपस के संयुक्त निदेशक को की जानी है।
 - पहचान पत्र का को जाना: कार्ड का प्रतिस्थापन लिखित अनुरोध पर एफआईआर की प्रति के साथ और 500 रुपये + लागू जीएसटी के भुगतान पर किया जाएगा।
 - पहचान-पत्र क्षतिग्रस्त होना: कार्ड का प्रतिस्थापन क्षतिग्रस्त पहचान-पत्र प्रस्तुत करने के लिखित अनुरोध पर और 500 रुपये + लागू जीएसटी के भुगतान पर किया जाएगा।

नोट :- अनापत्तिप्रमाणपत्र के साथ पाठ्यक्रम पूरा होने पर पहचान-पत्र वापसकरना होगा।

4. शुल्क

संबंधित कार्यक्रम के छात्रों के लिए लागू सेमेस्टर शुल्क संरचना, समय-समय पर यथा-अधिसूचित अनुसार छात्रों से ली जाएगी।

शुल्क का भुगतान, विशेष वर्ष के शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट अनुसार अंतिम तिथि या उससे पहले पूर्ण रूप से किया जाना है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.1 संबंधित कार्यक्रम के छात्रों के लिए लागू सेमेस्टर शुल्क छात्रों से समय-समय पर अधिसूचित अनुसार लिया जाएगा।

- अनारक्षित या आरक्षित श्रेणियों के सभी छात्रों के लिए शुल्क संरचना।

((नियमित कार्यक्रमों के लिए) इस प्रकार है:

- ट्यूशन शुल्क (प्रति सेमेस्टर): अप्रतिदेय
- पुस्तकालय शुल्क (प्रतिवर्ष): अप्रतिदेय
- मेडिकलेम और छात्रविकास शुल्क (प्रतिवर्ष): अप्रतिदेय
- परीक्षा शुल्क (प्रतिवर्ष): अप्रतिदेय एकबारगी भुगतान

- प्रतिभूति जमा: प्रतिदेय
 - एल छात्र एसोसिएशन सदस्यताशुल्क : अप्रतिदेय (अंतिम वर्ष में)
 - पंजीकरणशुल्क : अप्रतिदेय
- ii. एनआरआई/एनआरआई प्रायोजित श्रेणी (नियमित कार्यक्रमों के लिए) में छात्रों के लिए शुल्क प्रतिवर्ष (दो सेमेस्टर के लिए) लिया जाता है।
- ट्यूशन शुल्क (प्रति सेमेस्टर): अप्रतिदेय
 - पुस्तकालयशुल्क (प्रतिवर्ष): अप्रतिदेय मेडिकलेम और छात्रविकासशुल्क (प्रतिवर्ष): अप्रतिदेय
 - परीक्षाशुल्क (प्रतिवर्ष): अप्रतिदेय एकबारगी भुगतान
 - प्रतिभूति जमा: प्रतिदेय
 - एल छात्र एसोसिएशन सदस्यताशुल्क : अप्रतिदेय (अंतिम वर्ष में)
 - पंजीकरणशुल्क: अप्रतिदेय
- iii. सेमेस्टर शुल्क के अन्य घटक हो सकते हैं जो अलग-अलग कैंपस से अलग-अलग हो सकते हैं।
- iv. यदि शुल्क का भुगतान जुर्माने के साथ नियत तिथि तक नहीं किया जाता है तो छात्रों को पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट तिथियों के बाद भुगतान में किसी भी देरी के परिणामस्वरूप छात्र का नाम पूर्व सूचना के बिना संस्थान के पंजीकरण से काट दिया जाएगा।
- 4.2 जुर्माने या बिना जुर्माने के शुल्क का भुगतान न करने पर निफ्ट पंजिका से छात्र का नाम काटने के बाद भी यदि छात्र निफ्ट में अध्ययन जारी रखना चाहता है, तो छात्र को जुर्माने के साथ शुल्क जमा करने के लिए अधिसूचित अंतिम दिन के बाद सेमेस्टर शुल्क के साथ 10,000.00 रुपये + लागू जीएसटी का पुनः-पंजीकरण शुल्क देना होगा। पूरा शुल्क मिलने के बाद ही छात्र को वापस कक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
- 4.3 निफ्ट नीति के अनुसार, सेमेस्टर के अंत तक न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति प्राप्त करना संबंधित छात्र की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। शुल्क का भुगतान न करने पर छात्र की कक्षाएं छूट जाने पर उपस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी एवं किसी भी प्रकार की अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 4.4 इस मामले में परिणाम घोषित करने की तारीख को शुल्क जमा करने का प्रथम दिन माना जाएगा। बाद में इन सेमेस्टर शुल्क का भुगतान बिना जुर्माने के शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि के बाद अगले 7 दिनों के भीतर 100 रुपये प्रतिदिन की दर से करना होगा। शुल्क का भुगतान

न करने पर पुनः परीक्षा परिणाम घोषित होने की दो सप्ताह की अवधि के बाद छात्र का नाम बिना किसी सूचना के संस्थान की पंजिका से काट कर दिया जाएगा।

- 4.5 सभी जमा/शुल्क का भुगतान राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा जो एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित निफ्ट बैंकों के अधिकृत बैंक को देय होगा।
- 4.6 शैक्षणिक वर्ष का एक सेमेस्टर पूरा कर चुके एनआरआई 'दोहराने वाले छात्रों' के लिए शैक्षणिक शुल्क संरचना - यदि छात्र को सेमेस्टर दोहराना है, तो दोनों सेमेस्टर्स अर्थात पूरे वर्ष के लिए शुल्क के स्थान पर केवल उस सेमेस्टर का शुल्क लिया जाएगा। हालांकि, यदि एनआरआई छात्र सभी प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेता है, तो कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी ने एक एनआरआई सीट को ब्लॉक कर दिया है जिसे किसी अन्य अभ्यर्थी को प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है।
- 4.7 सेमेस्टर दोहराने वाले एनआरआई छात्रों को अनुपस्थित सेमेस्टर के साथ-साथ पुस्तकालय, छात्र विकास और मेडी-क्लेम शुल्क के प्रति अप्रतिदेय वार्षिक शुल्क के साथ-साथ 10,000 रुपये औरलागूजीएसटी के रूप में पुनः-पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।

5. शुल्क और प्रतिभूति जमा की वापसी

- 5.1 प्रवेश के समय भुगतान किए गए शुल्क के साथ प्रतिभूति जमा घटक की वापसी छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा होने पर या निफ्ट का छात्र नहीं रहने की तारीख से वापस किया जाता है। यह संबंधित विभागों/पुस्तकालय एवं संसाधन केंद्र/शैक्षणिक शाखा/कंप्यूटर प्रयोगशाला/छात्रावास (यदि लागू हो) आदि से निर्धारित अनापति प्रमाणपत्र बनने पर किया जाता है। पाठ्यक्रम पूरा होने की तारीख या संस्थान छोड़ने वाले छात्र से छह महीने के बाद वापसी के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जो छात्र निफ्ट पाठ्यक्रम सेमेस्टर के मध्य में छोड़ देते हैं या जिन्हें किन्हीं कारणों से निफ्ट छोड़ने के लिए कहा जाता है, वे प्रतिदेय प्रतिभूति जमा की राशि को छोड़कर शुल्क वापस करने के पात्र नहीं होंगे।

ऐसे मामलों में यदि यह विफलता/उपस्थिति के कारण कैंपस द्वारा अनुपस्थिति की छुट्टी या रोक है तो छात्र को अपने पंजीकरण को जीवंत रखने के लिए, शामिल होने वाले सेमेस्टर के शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक अनुपस्थित सेमेस्टर के लिए ₹०,०00 रुपये का पुनः-पंजीकरण शुल्क देना होगा।

- 5.2 अनुपस्थिति की छुट्टी का लाभ उठाने वाले छात्रों के लिए शुल्क का समायोजन: निफ्ट नीति के अनुसार, किसी छात्र को सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ निफ्ट में अध्ययन की

निर्दिष्ट अवधि से परे चिकित्सा/विस्तारित परिस्थितियों के आधार पर अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुपस्थिति/ग्रहणाधिकार की छुट्टी दी जा सकती है।

- 5.3 सेमेस्टर के शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद अनुपस्थिति की छुट्टी अनुमत होने के मामले में शुल्क का समायोजन बाद के सेमेस्टर में नहीं किया जाएगा।
- 5.4 निफ्ट नीति के अनुसार प्रत्येक अनुपस्थित सेमेस्टर के लिए छात्र द्वारा पुनः-पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- 5.5 एनआरआई छात्रों के मामले में चूंकि वार्षिक आधार पर शुल्क का भुगतान किया जाता है, यदि छात्र अनुपस्थिति की छुट्टी का लाभ उठाता है, तो शुल्क को बाद के सेमेस्टर्स में समायोजित किया जाएगा।
- 5.6 कदाचार के कारण निलंबित किए गए छात्रों के मामले में, यदि छात्र अगले वर्ष (एक ही सेमेस्टर में) पाठ्यक्रम में फिर से शामिल होता है तो सेमेस्टर शुल्क समायोजित नहीं किया जाएगा।

6. अनुशासन और आचरण के मुद्दे

छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे संस्थान में और बाहर अनुशासन की उच्च स्तर बनाए रखें। व्यवहार खामियों या संकाय कर्मचारियों या जनता से अनुशासनहीनता की रिपोर्ट को गंभीरता से देखा जाएगा। प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान के एक उत्तरदायी प्रतिनिधि के रूप में, छात्रों से संस्थान में और बाहर शिष्टता, विनम्रता, सामुदायिक भावना और अखंडता के माध्यम से एक उदाहरण स्थापित करने की आशा है। छात्रों को संस्थान में शामिल होने के समय एक वचन-पत्र देने के साथ-साथ प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में धूम्रपान, मादक पेय पदार्थों, ड्रग्स के उपयोग और किसी अन्य अवांछनीय गतिविधि में लिप्त होने से बचना आवश्यक है।

6.1 सामान्य आचरण नियम

- i. निफ्ट में सभी कार्यक्रमों में अभिग्रहण की प्रकृति के लिए छात्रों को समय-समय पर कच्चे माल, उपकरण, स्थिर वस्तुओं और अन्य अध्ययन सामग्री खरीदने की आवश्यकता होती है। विभिन्न पाठ्यक्रमों की शुरुआत में संबंधित विभाग/संकाय द्वारा इस संबंध में विशिष्ट निर्देश दिए जाएंगे। छात्रों को संबंधित विभाग प्रभारी की अनुमति के बिना प्रयोगशाला/कार्यशाला/स्टूडियो में निफ्ट से संबंधित किसी भी कच्चे माल या निफ्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की वस्तु को ले जाने की अनुमति नहीं है।
- ii. संस्थान में अध्ययन करते समय छात्रों को मशीनों और उपकरणों को सावधानीपूर्वक संचालित करना होगा और सभी सुरक्षा विनियमों का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वयं या संस्थान की संपत्ति, मशीनरी और उपकरणों को कोई नुकसान न हो। यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने संस्थान की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें

प्रतिपूर्ति करने या नुकसान की भरपाई करनी होगी। इस सम्बन्ध में उनकी देयता की सीमा के संबंध में कोई भी निर्णय संस्थान के विवेक पर होगा, जो अंतिम होगा।

- iii. कंप्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा निफ्ट में शैक्षणिक कार्यक्रमों का एक अभिन्न हिस्सा है। कंप्यूटर केंद्र में उपलब्ध सुविधाएं छात्रों के उपयोग के लिए हैं। सॉफ्टवेयर संचालन या हटाये जाने योग्य कोई डेटा भंडारण उपकरण के लिए हार्डवेयर अनुलग्नकों को प्रभारी विभाग की लिखित मंजूरी के बिना अंदर या बाहर नहीं के जाया जा सकता है। इसका उल्लंघन को चोरी की मंशा माना जाएगा।
- iv. प्रयोगशालाओं/कक्षाओं से किसी प्रकार के क्षति या मर्दों के गायब होने की स्थिति में, संबंधित छात्र को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा और उसे हर्जाने के लिए भुगतान करना होगा।
- v. छात्रों को निफ्ट के सभी कैंपसों में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्टूडियो, कार्यशाला, क्लासरूम और व्याख्यान हॉल सहित निफ्ट अध्ययन क्षेत्रों के अंदर खाने-पीने की अनुमति नहीं है। छात्रों को निफ्ट कैंटीन के अंदर अपना नाश्ता/दोपहर का भोजन/रात्रिभोज आदि रखना चाहिए और कैंटीन के बाहर खाने-पीने की चीजें/पेय पदार्थ लेने की अनुमति है। निफ्ट के सभी स्थलों और कैंपसों में धूम्रपान वर्जित है।
- vi. निफ्ट में अध्ययन के दौरान छात्रों को उद्योग इंटरनशिप/प्रशिक्षण यात्रा/प्रलेखन यात्राएं/क्षेत्र अध्ययन करना होता है, जो भारत में कहीं भी हो सकता है। छात्र को कैंपस के आसपास के क्षेत्र के बाहर के दौड़ों जैसे शिल्प नैदानिक अध्ययन/आउटबाउंड ट्रिप आदि के लिए विभाग कैंपस समन्वयक को माता-पिता/स्थानीय अभिभावकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति प्रपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है ।
- vii. भारत के बाहर की यात्राओं के लिए निफ्ट द्वारा संदर्भ और स्थिति के आधार पर विशिष्ट विवरण और शर्तें बनाई जाएंगी। यदि छात्र सौंपे गए स्थान/संस्थान/उद्योग का चयन करना चाहता है, तो उसे संबंधित संकाय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यह पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है और इसलिए कोई भी छात्र इन इंटरनशिप/प्रशिक्षण/प्रलेखन कार्यक्रमों में भाग लेने से मना नहीं कर सकता । इस विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लेने या इसे पूरा करने में असमर्थता का परिणाम छात्र की विफलता होगी। इन पाठ्यक्रमों के दौरान यात्रा, भोजन और आवास से संबंधित खर्च छात्रों को वहन करना पड़ सकता है।
- viii. निफ्ट में अध्ययन के दौरान छात्रों को कोई भी रोजगार/असाइनमेंट करने से मना किया जाता है। हालांकि, यदि यह आवश्यक है, तो छात्र कैंपस समन्वयक और कैंपस के निदेशक से एक स्पष्ट लिखित अनुमोदन लेगा। यह किसी भी तरह से उपस्थिति की अनिवार्यता की शर्त को प्रभावित नहीं करेगा। छात्र वित्तीय आवश्यकता के मामले में निफ्ट के छात्र सहायक कार्यक्रम में शामिल करने के लिए कैंपस के एसडीएसी से भी संपर्क कर सकता है।

- ix. छात्र सेमेस्टर की शुरुआत में उन्हें परिचालित शैक्षणिक कैलेंडर, दिशा-निर्देशों और गतिविधियों का पालन करेंगे ।
- x. चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में छात्र को संबंधित कैंपस समन्वयक/संकाय सहायक को सूचित करना होगा। संस्थान सभी छात्रों को बीमित राशि की सीमा तक चिकित्सा/दुर्घटना मामलों के लिए सुनिश्चित करता है।
- xi. इस संस्थान का कोई भी पूर्णकालिक छात्र निफ्ट में नियमित कार्यक्रम के साथ किसी अन्य विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान के किसी अन्य नियमित या अंशकालिक पाठ्यक्रमों को एक साथ नहीं कर सकता है।
- xii. संस्थान छात्रों का अत्यंत ध्यान रखता है लेकिन किसी भी प्राकृतिक आपदा, युद्ध, दंगे आदि के मामले में संस्थान व्यक्तिगत छात्र की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है।

7. कदाचार की परिभाषा

इस संहिता के अंतर्गत कदाचार का सार अनुचित हस्तक्षेप है-व्यापक अर्थों में-निफ्ट के उचित कामकाज या गतिविधियों के साथ, या जो काम करते हैं या निफ्ट में अध्ययन करते हैं, या कार्रवाई जो अन्यथा निफ्ट की छवि को नुकसान पहुंचाती है।

कदाचार में हिंसक, अभद्र, अव्यवस्थित, धमकी या आक्रामक व्यवहार या भाषा, लड़ाई, रैगिंग, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, धोखाधड़ी, धोखा, छेड़छाड़, निफ्ट संपत्ति के विरूपण, आईपीआर उल्लंघन, साहित्यिक चोरी व्यवहार जो निफ्ट की बदनामी करता है, निफ्ट के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रासंगिक विवरण के माध्यम से प्रकटन करने में विफलता/शामिल होंगे, लेकिन इन तक सीमित नहीं होगा।

निफ्ट के आचरण नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए गए किसी भी छात्र पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कदाचार की सूचना देने वाले संकाय सदस्य, अधिकारी इसकी रिपोर्ट अनुशासन/विभाग के कैंपस समन्वयक और/या संयुक्त निदेशक को देंगे । संबंधित अनुशासन समिति जांच कराएगी।

संबंधित कैंपस निदेशक नियत की गई सजा को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे। लगाए गए जुर्माने का रिकॉर्ड छात्र के रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

निम्नलिखित गतिविधियों को छात्रों के हिस्से द्वारा अनुशासनहीनता/व्यवहार खामियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

- i. बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति या कक्षाओं के बहिष्कार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृत कार्य जिसके परिणामस्वरूप संस्थान का माहौल प्रभावित होता है।

- ii. छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने से धमकी देना, शारीरिक रूप से रोकना या किसी अन्य साधन का उपयोग करके रोकना।
- iii. निफ्ट के कैंपस के भीतर (कैंपस, छात्रावास, बस आदि) चोरी और वस्तुएं को छति पहुँचाना।
- iv. निफ्ट के कैंपस में या बाहर रैगिंग।
- v. निफ्ट के आरसी या किसी अन्य विभाग में रखी गई सामग्री, किताबें, पत्रिकाएं, आदि का विरूपण।
- vi. कदाचार और नकल जैसे अनुचित साधनों का उपयोग करना ।
- vii. कैंपस/छात्रावास में नशीले पदार्थों, शराब या किसी अन्य गतिविधि जैसी गतिविधियों में लिप्त होने को बड़े पैमाने पर सामाजिक अपराध माना जाता है।
- viii. निफ्ट को नीचा दिखाने के लिए मीडिया या किसी अन्य बाहरी एजेंसी को साक्षात्कार देना।
- ix. अभद्र भाषा का उपयोग करना और निफ्ट के कैंपस में उपद्रव पैदा करना, साथी छात्रों और संकाय सदस्यों के शांति और स्वतंत्र अधिकारों का हनन करना।
- x. निफ्ट की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना संस्थान या उसकी गतिविधियों या व्यक्तियों के बारे में वेब पेज/ब्लॉग या किसी अन्य वेब-आधारित सामग्री के निर्माण में लिप्त होना।
- xi. किसी भी कार्य में शारीरिक या वस्तुतः लिप्त होना जो निफ्ट या निफ्ट के बाहर या निफ्ट के बाहर किसी भी कर्मचारी का यौन उत्पीड़न माना जाता हो जिससे निफ्ट की छवि धूमिल हो।
- xii. कैंपस के भीतर कैंपस निदेशक की अनुमति के बिना किसी भी गतिविधि का आयोजन करना।

7.1. रैगिंग

रैगिंग को "शोर, अव्यवस्थित आचरण का प्रदर्शन, ऐसा कोई भी कार्य करने के रूप में परिभाषित किया गया है जो शारीरिक या मनोवैज्ञानिक छति पहुंचाता है या किसी भी शैक्षिक संस्थान में छात्र को आशंका या भय या शर्मिंदगी बढ़ाता है"। रैगिंग को एक बड़ा अनुशासनात्मक उल्लंघन माना जाएगा और इस विषय पर अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपराधी (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) माना जाएगा। इस मुद्दे पर कोई भी शिकायत संबंधित कैंपस के एसएसी को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।

7.2. शैक्षणिक अनियमितताएं

निम्नलिखित को विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक अनियमितताओं के रूप में माना जाता है:

7.2.1. धोखा

धोखाधड़ी में शामिल हैं:

- i. किसी परीक्षा के दौरान किसी अन्य अभ्यर्थी के साथ संचार, या नकल करना सिवाय ऐसे मामले में जिसमें परीक्षा विनियमन विशेष रूप से इसकी अनुमति दे , जैसे समूह मूल्यांकन या समूह असाइनमेंट मूल्यांकन;
- ii. अधिकृत पर्यवेक्षक या स्टाफ के अधिकृत सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ परीक्षा के दौरान संचार करना ;
- iii. परीक्षा कक्ष में किसी भी लिखित या मुद्रित सामग्री प्रदान करना जब तक कि परीक्षा बोर्ड या कार्यक्रम विनियमों द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए;
- iv. लैपटॉप, मोबाइल फोन, पाम टॉप, कैलकुलेटर या परीक्षा कक्ष में भंडारण के किसी अन्य साधन के माध्यम से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संग्रहित जानकारी प्रदान करना, जब तक कि विशेष रूप से परीक्षकों या कार्यक्रम विनियमों द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है;
- v. परीक्षा से पहले या उसके दौरान किसी परीक्षा से संबंधित अनधिकृत सामग्री तक पहुंच प्राप्त करना;
- vi. अनधिकृत निर्मुक्ति के लिए तारीख और समय से पहले एक 'अनदेखी' लिखित परीक्षा पेपर की एक प्रति प्राप्त करना;
- vii. किसी भी अन्य तरीकों से, परीक्षाओं में झूठे साक्ष्य ज्ञान या समझ के प्रावधान, या सहायता;
- viii. सामग्री का अनधिकृत उपयोग जो असाइनमेंट, जूरी के लिए आईपीआर उल्लंघन हो।

7.2.2. साहित्यिक चोरी

किसी अन्य के कार्य (प्रकाशित या अप्रकाशित) से प्राप्त सामग्री के अभ्यर्थीके काम में जानबूझकर, पर्याप्त और अस्वीकृत निगमन साहित्यिक चोरी है। उदाहरण हैं:

- i. अभ्यर्थी के काम में किसी अन्य व्यक्ति के काम से एक से अधिक वाक्यांश, उद्धरण चिहनों और स्रोतों की पावती के उपयोग के बिना शामिल करना;
- ii. केवल शब्दों को बदलकर या प्रस्तुति के क्रम में पावती के बिना फेरबदल करके किसी अन्य व्यक्ति के काम का सारांश;
- iii. किसी अन्य अभ्यर्थी के काम की उस छात्र की जानकारी या समझौते के बिना नकल करना, इस मामले में साहित्यिक चोरी का दोषी है। किसी अन्य छात्र के ज्ञान या समझौते के साथ नकल करने के मामले में, दोनों ही पार्टियां साहित्यिक चोरी के दोषी हैं।

- iv. प्रायोगिक कार्य के आधार पर प्रयोगशाला रिपोर्टों, परियोजनाओं आदि में आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण, जो अभ्यर्थी द्वारा किए गए या अनुचित साधनों से प्राप्त किया गया है।

7.2.3. मिलीभगत

मिलीभगतमें ऐसी स्थिति भी शामिल है, जहां एक छात्र-

- i. व्यक्तिगत रूप से काम करना /प्रदर्शित करना अपेक्षित है किंतु अनुचित लाभ हासिल करने के लिए अपने काम के रूप में किसी व्यक्ति के सहयोग से किया काम प्रस्तुत करता है।
- ii. जानबूझकर किसी अन्य छात्र को अपने काम के सभी या भाग की नकल करने की अनुमति देता है, और यह है कि अन्य छात्र के अपने गैर सहायता प्राप्त काम के रूप में प्रस्तुत करना।

7.2.4. आईपीआर

संस्थान में छात्र के कार्यकाल के दौरान विकसित कोई भी कार्य/डिजाइन निफ्ट की संपत्ति होगी। जब तक अन्यथा निफ्ट के माध्यम से कार्य नहीं किया जाता है तब तक कार्य का कोई वाणिज्यिक लेन-देन नहीं हो सकता है। निफ्ट आईपीआर नीति निफ्ट में की गई सभी परियोजनाओं पर लागू होगी।

7.3. अनुशासनात्मक प्रक्रिया दिशानिर्देश:

ऊपर सूचीबद्ध सभी स्थितियों अथवा किसी अन्य कारणों से यदि कोई धोखाधड़ी पाई जाती है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कैंपस में सक्षम प्राधिकारी अनुशासनात्मक उल्लंघनों के लिए अपराध के बड़े या मामूली वर्गीकरण का निर्धारण करेगा।

7.3.1. मामूली अनुशासनात्मक उल्लंघन के लिए जुर्माना:

जहां सक्षम अधिकारी द्वारा उल्लंघन मामूली माना जाता है, निम्नलिखित दंड सक्षम अधिकारी के विवेक पर लगाया जा सकता है:

- i. प्रत्येक उल्लंघन/अपराध के लिए 10,000.00 + लागू जीएसटी तक का जुर्माना
और/या
- ii. यह अपेक्षा है कि छात्र किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी क्षति की लागत या क्षतिग्रस्त या हाथापाई के मामले में चिकित्सा खर्च पर किए गए किसी भी खर्च का भुगतान करता है। यह खर्च निफ्ट/तृतीय पक्षकार या सहायक संगठन द्वारा किया गया हो सकता है और उल्लंघन के लिए निफ्ट को उल्लंघनकर्ता द्वारा भुगतान करना होगा। निफ्ट कैंपस के संयुक्त निदेशक/निदेशक द्वारा अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर छात्र द्वारा इसे जमा किया जाएगा।

और/या

- iii. चेतावनी/निंदा: पहले अपराध के लिए छात्र को जारी की जाने वाली चेतावनी को छात्र के रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। हालांकि, दोहराने वाले अपराध के मामले में, निंदा को छात्र के रिकॉर्ड में रखा जा सकता है और बड़े दंड के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

7.3.2. बड़े अनुशासनात्मक उल्लंघन के लिए जुर्माना:

जहां उल्लंघन को सक्षम अधिकारी द्वारा बड़ा माना जाता है, बड़े अनुशासनात्मक उल्लंघनों के लिए निम्नलिखित दंड लगाया जा सकता है:

- i. संस्थान से निलंबन/विवर्जन, जहां छात्र को ' अवांछित व्यक्ति ' घोषित किया जाएगा और कैंपस में प्रवेश करने, सुविधाओं और कक्षाओं में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।
- ii. संस्थान से स्थायी निष्कासन।
- iii. कोई अन्य कार्य जो परिस्थितियों में उचित हो सकता है।

7.4. परीक्षाओं/जूरी/मूल्यांकन के दौरान शैक्षणिक अनियमितताओं के लिए दंड

- i. परीक्षा के समय नकल करते पाए गए किसी भी छात्र को पेपर/परीक्षा पूरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जांच का परिणाम लंबित होने तक उसे वचन-पत्र के साथ शेष परीक्षा लेने की अनुमति दी जा सकती है।
- ii. यदि कोई छात्र सामग्री बाहर ले जाते हुए पाया जाता है या साहित्यिक चोरी में लिप्त पाया जाता है, तो छात्र को परीक्षा/जूरी/मूल्यांकन देने से रोक दिया जाएगा और उसे पूरे सेमेस्टर को दोहराना होगा।
- iii. यदि छात्रों को अपने सहपाठियों की नकल करते पाया जाता है, तो उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को रद्द माना जाएगा और उन्हें पुनः-परीक्षा देनी होगी।
- iv. मूल्यांकनकर्ता यदि यह पता है कि एक से अधिक छात्रों ने एक ही परीक्षा शीट/प्रविष्टि पर परीक्षा का प्रयास किया है, या हस्तलिपि में किसी भी परिवर्तन देखा है तो छात्र का परिणाम जांच के परिणाम तक लंबित रोक दिया जाएगा।
- v. यदि छात्र मिलीभगत में पाया जाता है जैसा कि ५.१.२.३ में वर्णित है, तो प्रस्तुत किए गए पूरे कार्य को किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त शून्य कर दिया गया है जैसा कि साहित्यिक चोरी/धोखाधड़ी आदि से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत उनके विरुद्ध लागू हो सकता है।
- vi. यदि छात्र साहित्यिक चोरी में लिप्त पाए जाते हैं, तो छात्रों को संस्थान से एक वर्ष के लिए वर्जित किया जाएगा और उन्हें पूरे सेमेस्टर को दोहराना होगा।
- vii. यह पिछले विस्तृत उल्लंघन मानदंडों के अंतर्गत किसी भी अन्य दंड के अतिरिक्त है।

7.5. अपील प्रक्रिया

सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए गए किसी भी दंड के विरुद्ध अपील कैंपस के माध्यम से महानिदेशक को तभी की जा सकती है जब किसी नई और प्रासंगिक सूचना पर विचार करने की आवश्यकता हो जो कार्यवाही के समय उपलब्ध नहीं थी। छात्र द्वारा अपील के समय कैंपस समन्वयक के माध्यम से एक वचन-पत्र दिया जाएगा कि महानिदेशक-निफ्ट का निर्णय सभी परिस्थितियों में स्वीकार्य होगा और बाध्यकारी होगा।

8. निफ्ट सामाजिक मीडिया नीति

सामाजिक मीडिया दिशानिर्देशों के इस सेट का उद्देश्य ऐसे मानक निर्धारित करना है जो सामाजिक मीडिया के उतरदायी उपयोग, उत्पीड़न की रोकथाम और ऑनलाइन कार्य में सद्भाव को बढ़ावा देने के संबंध में सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है। छात्रों के लिए नियम और विनियमों से संबंधित संस्थान नीतियां "निफ्ट छात्रों की नियम पुस्तिका में हैं।

- i. निफ्ट के प्रत्येक सदाशयी छात्र को ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक मीडिया पर साझा की गई जानकारी सार्वजनिक जानकारी बन जाती है और इसलिए, सामाजिक मीडिया का उपयोग किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए जो बाद में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या व्यावसायिक अभ्यास से समझौता कर सके। निफ्ट, भारत के संविधान और सामान्य सद्भाव को बढ़ावा नहीं देने वाली किसी भी प्रतिकूल सामग्री को संस्थान, भविष्य के नियोक्ताओं और/या व्यावसायिक निकायों के ध्यान में लाया जा सकता है और यह अध्ययन और/या भविष्य के कैरियर के लिए हानिकारक हो सकता है।
- ii. निफ्ट, उसकी नीतियों और कर्मचारियों को बदनाम करने वाली किसी भी सामग्री को अनुशासनात्मक कार्रवाई और अन्य विषयों में, दंड, परीक्षा में बैठने, कैंपस प्लेसमेंट आदि से प्रतिबंधित करने को प्रतिकूल रूप से देखा जाएगा।
- iii. कोई भी छात्र संस्थान की पूर्व अनुमति के बिना सामाजिक मीडिया पर संस्थान की ओर से बोलने या प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकता है। किसी को यह घोषणा, संकेत या संकेत नहीं देना चाहिए कि वह उसके नियंत्रण में किसी भी सामाजिक मीडिया साइट की सामग्री का संस्थान का प्रतिनिधि है। ऑनलाइन पोस्ट करते समय, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें छात्र यह आभास देता है कि वह संस्थान या विभाग की ओर से बोल रहा है, ऐसे मामले में छात्र को यह स्पष्ट करने के लिए एक अस्वीकरण करने पर विचार करना चाहिए कि वह व्यक्तिगत क्षमता में पोस्ट कर रहा है।
- iv. सामाजिक मीडिया (उदाहरण के लिए; ट्विटर; फेसबुक; गूगल +; लिंकडइन; इंस्टाग्राम; और खुले मंचों और ब्लॉगों) जो अब रोजमर्रा की जिंदगी की एक आम विशेषता है और शैक्षणिक

और सहयोगात्मक अवसरों में दोनों छात्रों और कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं। सामाजिक मीडिया प्लेटफार्मों सहित साथी छात्रों या निफ्ट कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न अस्वीकार्य है और अनुशासनात्मक कार्यवाही को आमंत्रित करने वाले संस्थान द्वारा बहुत गंभीरता से व्यवहार किया जाएगा।

- v. हर छात्र को गोपनीयता के व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें पूर्व अनुमति के बिना अन्य छात्रों या निफ्ट कर्मचारियों के चित्रों सहित व्यक्तिगत विवरणों का प्रकटन नहीं करना चाहिए।
- vi. छात्रों को सामाजिक मीडिया साइटों पर पोस्ट की गई जानकारी के स्थायी स्वभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए और पोस्ट लिखते समय या जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
- vii. आपत्तिजनक टिप्पणियां, चित्र या अन्य सामग्री पोस्ट करने के लिए सामाजिक मीडिया का उपयोग करना छात्र नियमों और विनियमों 2012, डी 2 के अंतर्गत अनुशासन संहिता का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और आईटी अधिनियम 2000 और संशोधन 2008 में प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी है।
- viii. ऑनलाइन पोस्ट की गई सामग्री पर सिविल और आपराधिक कानून लागू होते हैं। नागरिक अपराध दावों में मानहानि, उत्पीड़न, बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन, धोखाधड़ी मिथ्याकथन अर्थात् या विश्वास भंग करने की कार्रवाई शामिल है। ऑनलाइन हो सकने वाले आपराधिक अपराधों में उत्पीड़न, पीछा, घृणा अपराधों, बलपूर्वक या व्यवहार को नियंत्रित करने, सहमति के बिना अंतरंग छवियों का प्रकटन, ब्लैकमेल, दुर्भावनापूर्ण संचार और आतंकवाद के अपराधों शामिल हो सकते हैं। भारतीय क्षेत्र में लागू साइबर कानून ऑनलाइन पोस्ट की गई सामग्री पर लागू होंगे।
- ix. उचित अनुमति के बिना और दूसरों की सामग्री (फोटोग्राफ, पाठ, वीडियो, संगीत आदि) और किसी भी लाइसेंस की विशिष्ट शर्तों सहित उदाहरण के लिए लेखक का क्रेडिट और/अथवा लाइसेंस का लिंक, व्यापक गोपनीयता, आई पी आर के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और अन्य के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
- x. निफ्ट के छात्रों द्वारा सामाजिक मीडिया पर पोस्ट की गई किसी भी सामग्री का स्वामित्व नहीं लेता और उत्तरदायी नहीं है।
- xi. निफ्ट ब्रांड ट्रेडमार्क/सेवा चिह्न का बिना पूर्व लिखित अनुमति के उपयोग कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

- xii. प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र के लिए एंटी रैगिंग और इस तरह की अन्य औपचारिकताओं के साथ-साथ सामाजिक मीडिया के उपयोग पर एक वचन-पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

8.1. ऑनलाइन शिष्टाचार

सामाजिक मीडिया का उपयोग करते समय, यह हो सकता है कि आमने-सामने होते समय हम कुछ कहें। याद रखें कि अहानिकर टिप्पणियों को ऑनलाइन पोस्ट करना गलत समझा जा सकता है, जबकि लिखित शब्द स्थाई है और आमने-सामने वे गलत नहीं हो सकते।

अपने आप से ये प्रश्न पूछें:

- i. मेरी पोस्ट कौन पढ़ रहा होगा?

क्या यह नजदीकी मित्रों और परिवार तक सीमित होगा या इसे व्यापक जनता द्वारा पढ़ा जा सकता है? क्या यह वे लोग पढ़ेंगे जिनके साथ आपके व्यक्तिगत संपर्क है या यह लोगों तक पहुँच सकता है जिनके आपके साथ व्यावसायिक संबंध है?

यदि कैंपस/मित्रों/सहपाठियों/संकाय से संबंधित कोई मुद्दा है, तो क्या इसे निवारण के लिए उपयुक्त मंच तक पहुंचाने की आवश्यकता है। सामाजिक मीडिया पर समस्याओं को पोस्ट करना कोई समाधान नहीं है और केवल चीजों को बदतर बना देता है।

- ii. मुझे किस शैली का उपयोग करना चाहिए?

हमेशा विनम्र रहें, तब भी जब आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं। याद रखें कि ज्यादातर मामलों में, आपके द्वारा पोस्ट की गई सामग्री सार्वजनिक होगी और बाद की तारीख में इसे निकालना संभव नहीं हो सकता है। इसे सामाजिक मीडिया के अन्य रूपों के माध्यम से फिर से पोस्ट या साझा किया जा सकता है।

इस बारे में दो बार सोचें कि आप सामग्री कैसे पोस्ट करते हैं यदि आप किसी चीज के बारे में गुस्सा महसूस कर रहे हैं और स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करें। यदि आप किसी और की पोस्ट का उत्तर दे रहे हैं, तो स्वयं से पूछें कि क्या आपको यकीन है कि आपने पोस्ट को उस तरीके से पढ़ा है जिस तरह से इसकी मंशा थी।

8.2. सामाजिक मीडिया उल्लंघन के लिए जुर्माना

दोषी पाए गए छात्रों को पैरा 7.3, अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कथित अनुसार दोषी पाए गए छात्रों पर करवाई की जाएगी।

9. उपस्थिति

निफ्ट में अध्ययन मुख्य रूप से आदानों के इंटरैक्टिव तरीकों और परियोजनाओं, अनुसंधान और कौशल आधारित अनुभवों में छात्रों की भागीदारी पर आधारित है। इसमें बैच के साथियों और संकाय

के साथ काम के साथ-साथ अभिग्रहण की प्रक्रियाओं को साझा करना भी शामिल है जिनकी प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन छात्रों के विकास, समझ और परिपक्वता के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में किसी भी शारीरिक अनुपस्थिति का मतलब अभिग्रहण के अवसर और निरंतरता की हानि होगी, जिसे अधिकांश स्थितियों में आत्म-कार्य द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए कक्षाओं में भाग लेने में समयबद्धता को बनाए रखा जाना चाहिए। उपस्थिति सभी नियमित कार्यक्रमों के छात्रों के लिए अनिवार्य है जब तक और जब तक वैध कारण अनुपस्थिति का समर्थन करने के लिए दिया जाता है। प्रत्येक कक्षा की शुरुआत में संकाय सदस्य द्वारा उपस्थिति ली जाएगी और तदनुसार दर्ज की जाएगी।

अनधिकृत या आदतन अनुपस्थिति से विषय/सेमेस्टर में छात्र को विफल करने या निफ्ट की पंजिका से हटाने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को निफ्ट कैंपस में प्रातः 9.00 बजे कक्षाओं में उपस्थित होना चाहिए। अपवाद के बिना सभी छात्रों को कक्षा में प्रवेश और कक्षा की शुरुआत के लिए निर्धारित समय पर बैठाया जाएगा। देरी के कारणों की परवाह किए बिना देर से प्रवेश करने वालों के लिए क्लास रूम का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा।

छात्रों को समेकित उपस्थिति, संचालित कक्षाओं की स्थिति और उपस्थिति में कमी, यदि कोई हो, के लिए नियमित आधार पर विषयवार या समेकित तरीके के रूप में अपने संबंधित सीएमएस पोर्टल/मोबाइल ऐप पर अपनी उपस्थिति की जांच करनी होती है। उपस्थिति में किसी भी विसंगति को लिखित आवेदन के साथ समर्थित विभाग के कैंपस समन्वयक को सूचित किया जाना चाहिए।

9.1. निफ्ट में उपस्थिति की आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

- i. सेमेस्टर के दौरान आयोजित कुल सत्रों/कक्षाओं में छात्र की कुल न्यूनतम 75% उपस्थिति होनी चाहिए, जो विषयों के अंतिम मूल्यांकन/अंत सेमेस्टर परीक्षा/जूरी में बैठने के लिए पात्रता है।
- ii. सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय में छात्र की न्यूनतम 65% उपस्थिति होना आवश्यक है, ताकि विषयों के अंतिम मूल्यांकन/अंत सेमेस्टर परीक्षा/जूरी में बैठने के लिए पात्रता हो।
- iii. उपरोक्त उपस्थिति के मानदंड स्टैंडअलोन विषयों पर भी लागू होंगे जिन्हें क्लस्टर/उद्योग/अनुसंधान इकाई/जीई की यात्रा की आवश्यकता होती है।
- iv. चिकित्सा आधार या किसी भी सामाजिक आकस्मिकताओं पर कोई अपवाद नहीं किया जाएगा क्योंकि उपस्थिति में 25% और 35% छूट के प्रावधान में ऐसी सभी आकस्मिकताएं शामिल हैं।

9.2. सूचनाकेबिनाअनुपस्थिति

- i. सेमेस्टर के मध्य तक 0% उपस्थिति के मामले में, छात्र का नाम कैंपस से नोटिस जारी होने के बाद संस्थान की पंजिका से काट दिया जाएगा।
- ii. किसी भी कारण या मध्य सेमेस्टर तक शून्य प्रतिशत उपस्थिति के कारण चार सप्ताह से अधिक की असूचित अनुपस्थिति का तात्पर्य होगा कि छात्र की उम्मीदवारी की हानि होगी अर्थात् छात्र का नाम संस्थान की पंजिका से काट दिया जाएगा।
- iii. मूल्यांकन से किसी भी अधिकृत अनुमति के बिना स्वयं अनुपस्थित छात्रों को ऐसे मूल्यांकन में "शून्य" अंक दिए जाएंगे और ऐसे मामलों के लिए पुनर्मूल्यांकन या पुनर्प्रवेश का कोई प्रावधान नहीं होगा।

9.3. पाठ्यक्रम की अवधि

- i. छात्र पंजीकरण की तारीख से यूजी कार्यक्रम पूरा करने के लिए अधिकतम 6 (छह) वर्ष और पीजी कार्यक्रम के लिए 4 (चार) वर्ष, ले सकता है।
- ii. किसी सेमेस्टर में तीसरी बार फेल पाए गए किसी भी छात्र को कार्यक्रम से हटने के लिए कहा जाएगा।
- iii. उपर्युक्त अवधि में छात्र द्वारा प्राप्त अनुपस्थिति की छुट्टी की अवधि शामिल है।

9.4. अनुपस्थिति की छुट्टी

- i. निफ्ट में अध्ययन की निर्दिष्ट अवधि से परे चिकित्सा/विस्तारित परिस्थितियों के आधार पर एक छात्र को अधिकतम 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए अनुपस्थिति/ग्रहणाधिकार की छुट्टी दी जा सकती है। छात्र को ऐसी छुट्टी के लिए कैंपस निदेशक की पूर्व मंजूरी लेनी चाहिए।
- ii. दोनों ही मामलों में, चाहे वह असफलता/उपस्थिति के कारण अनुपस्थिति या विवर्जन की छुट्टी हो, छात्र प्रत्येक अनुपस्थित सेमेस्टर के लिए 10,000.00 रुपये + लागू जीएसटी के पुनः-पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके अपने पंजीकरण को जीवन्त रखेगा।

10. निफ्ट में छात्रों की सलाह

निफ्ट व्यक्तिगत आधार पर सभी छात्रों को सक्रिय सलाह समर्थन प्रदान करता है। निफ्ट में छात्र सलाह के विभिन्न स्तर निम्नलिखित हैं:

सीएसी : समूह सलाह, संकाय द्वारा सलाह का पर्यवेक्षण

शैक्षणिक संरक्षक : समूह सलाह, वन-टू-वन सलाह

ई-मेंटोर : सीएमएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (छात्रों और संकाय के लिए)

विषय संरक्षक : वन-टू-वन, समूह सलाह

मेंटरशिप के प्रकार

छात्र की जरूरतों को समझने के लिए, विशिष्ट प्रकार की मेंटरशिप इस प्रकार है:

- वन-टू-वन सलाह
- समूह सलाह
- ई-सलाह
- विषय सलाह
- सहकर्मी सलाह

संस्थान में अपने प्रवास के दौरान छात्रों द्वारा किए गए विकल्प:

कब चुनें	क्या चुनें
यूजी और पीजी दोनों के लिए प्रथम सेमेस्टर की शुरुआत में प्रवेश काउंसलिंग	कैंपस और पाठ्यक्रम का विकल्प
यूजी और पीजी दोनों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर	सामान्य ऐच्छिक का विकल्प फ्लोटिंग विषयों के सामान्य
यूजी के लिए चौथा सेमेस्टर यूजी टेक के लिए 5वां सेमेस्टर पीजी, एम.डिजाइन और एम.एफ.एम के लिए पहला सेमेस्टर पीजी एम.एफ. टेक के लिए दूसरा सेमेस्टर	विशेषज्ञता को मजबूत बनाने का विकल्प
यूजी के लिए तीसरा सेमेस्टर पीजी के लिए प्रथम सेमेस्टर	आईडीएम का विकल्प
यूजी के लिए छठे सेमेस्टर का अंत और पीजी के लिए दूसरे सेमेस्टर का अंत	इंटरशिप के लिए रुचिका क्षेत्र
यूजी के लिए 7वें सेमेस्टर का अंत और पीजी के लिए तीसरे सेमेस्टर का अंत	स्नातक परियोजना के लिए रुचिका क्षेत्र

11. वित्तीय सहायता

निफ्ट छात्र को निफ्ट में उनकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाएं प्रदान करता है। विभिन्न वित्तीय योजनाएं इस प्रकार हैं:

11.1. सार्थक- निफ्ट वित्तीय सहायता योजना

सार्थक वित्तीय रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसमें निफ्ट वेबसाइट और सीएमएस पर उपलब्ध विस्तृत नीति से कम सकल परिवार वार्षिक आय वाले छात्रों कि सुगम्य पहुंच हो सकती है। सार्थक योजना के लिए आवेदन भरने के संबंध में विस्तृत निर्देश भी सीएमएस पर देखे जा सकते हैं।

11.2. उड़ान- विदेशी अध्ययन के लिए निफ्ट छात्रवृत्ति योजना

विदेशी अध्ययन के लिए उड़ान-निफ्ट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता निफ्ट में शैक्षणिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से छात्रों के लिए पुरस्कार/छात्रवृत्ति प्रदान करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन को मान्यता देना है। इस योजना से एक वर्ष में लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या नीति पर विचार करते समय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित संख्या के आधार पर होगी। छात्रों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन-पत्र कैंपस में जमा करना अनिवार्य है। छात्र ने यदि सार्थक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है और पहले ही अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर चुका है तो वह अपने दस्तावेज पुनः जमा नहीं कर सकता। विस्तृत नीति निफ्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

छात्र छात्रवृत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए अपने विभाग में कैंपस समन्वयक या सूचना एवं डीएल इकाई के कैंपस प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। छात्र दोनों छात्रवृत्ति के लिए सीएमएस पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

11.3. छात्र लैपटॉप नीति

निफ्ट के सभी कैंपसों में यूजी और पीजी स्तर पर नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमों के सभी छात्रों के लिए लैपटॉप का उपयोग अनिवार्य है। निफ्ट लैपटॉप की खरीद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले नियमित कार्यक्रमों के कम आय वर्ग के छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। "सार्थक" के अनुसार ट्यूशन शुल्क के 25% से अधिक की वित्तीय सहायता के लिए पात्र सभी छात्र - निफ्ट वित्तीय सहायता योजना, लैपटॉप की खरीद के लिए ब्याज मुक्त ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। अभिभावकों की आय सीमा यूजी छात्रों के मामले में 4 लाख रुपये प्रतिवर्ष और पीजी छात्रों के मामले में 2.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगी। विस्तृत नीति निफ्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है और अनुबंध 10सी पर संलग्न है।

12. शिल्प समूहों के लिए छात्रों की यात्रा

निफ्ट में शिल्प क्लस्टर पहल को निफ्ट के छात्रों को शिल्प क्षेत्र की वास्तविकताओं के प्रति जागरूक करने और क्षेत्रीय संवेदनाओं और विविधताओं, संसाधनों और पर्यावरण के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। निफ्ट इस पहल के माध्यम से, शिल्प को फैशन और इसके विपरीत आत्मसात करने में व्यापक जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने में सफल रहा है। शिल्प

क्लस्टर पहल कार्यक्रम निफ्ट के छात्रों को हर वर्ष विविध समृद्ध और अद्वितीय हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए व्यवस्थित, सतत और नियमित प्रकटन प्रदान करने के लिए परिकल्पित है।

इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक कैंपस निफ्ट कैंपस में विभागों की संख्या के आधार पर शिल्प समूहों को अपनाता है। डिजाइन विभागों के छात्र जहां डायग्नोस्टिक स्टडीज, डिजाइन डेवलपमेंट्स और ट्रेनिंग वर्कशॉप लेते हैं, वहीं फैशन कम्युनिकेशन, एम. डिजाइन और एम.एफ.एम के छात्र शोध, ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए शिल्प क्लस्टर से जुड़े हैं। डीएफटी छात्र एर्गोनॉमिक्स के क्षेत्रों में हस्तक्षेप और चुने हुए शिल्प क्षेत्र और इसके विभिन्न पहलुओं की विनिर्माण प्रक्रिया की समझ के लिए समूहों के साथ संबद्ध हैं, जिसमें कार्य स्थान, उपकरण, प्रक्रियाओं आदि के क्षेत्रों में मध्यवर्तन करके काम करने की दृष्टि प्राप्त होती है।

शिल्प से संबंधित सभी गतिविधियों का उद्देश्य ज्ञान साझा करने और डिजाइन विशेषज्ञता में सुधार के लिए एक मंच का निर्माण करना है। इन गतिविधियों से पूरे भारत में छात्र समूहों और शिल्प समुदायों के बीच सहयोगात्मक शिक्षा के लिए एक सुदृढ़ नेटवर्क भी विकसित होता है। गतिविधियों की प्रकृति पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार और संबंधित विभागों के अध्यक्षों द्वारा प्रस्तावित के रूप में भिन्न होती है।

12.1. छात्रों द्वारा विभिन्न शिल्प समूहों की यात्रा के मानदंड

संबंधित शिल्प क्लस्टर का दौरा करने वाले छात्रों के लिए मानदंड इस प्रकार हैं:

- i. चयनित शिल्प समूहों की यात्रा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है।
- ii. यह एक ग्रुप एक्टिविटी होगी जिसमें क्लास को 6-7 छात्रों के ग्रुप में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह को समन्वय के लिए एक छात्र समूह का नेता और मार्गदर्शन के लिए एक संकाय संरक्षक सौंपा जाएगा।
- iii. शिल्प क्लस्टर की यात्रा के लिए, मानदंडों के अनुसार प्रत्येक छात्र को एक निश्चित राशि प्रतिदिन डीएसए और शिल्प क्लस्टर में स्थानीय यात्रा के रूप में दी जाएगी।
- iv. छात्रों को वापसी पर टिकट जमा करने पर निफ्ट द्वारा रेल किराया (एसी-3 टियर)/बस किराया (निजी और राज्य परिवहन/टैक्सी (जहां परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं) की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हवाई यात्रा करने वाले छात्रों को हवाई टिकट और बोर्डिंग पास जमा करने पर रेल किराए (एसी-3 टियर) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- v. प्रत्येक छात्र समूह को 5,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति जीएसटी के साथ बिल जमा करने पर समूह दस्तावेज के लिए की जाएगी।

12.2. क्लस्टर दौरे के लिए छात्र आचरण नियम

- i. शिल्प क्लस्टर से संबंधित अधिकांश गतिविधियां मॉड्यूलर प्रारूप में आयोजित की जाएंगी। "यदि कोई छात्र ऑन-कैंपस या इनफील्ड गतिविधि नहीं कर पाटा है, तो वह मध्यावधि ब्रेक या अंत सेमेस्टर ब्रेक के दौरान विषय को कवर करने के लिए उत्तरदायी होगा। छात्र को कैंपस के आसपास के क्षेत्र में क्लस्टर में पूरा किए जाने वाले कार्य के संबंध में विभाग के सीसी से निर्देश लेने होंगे, या क्लस्टर गतिविधि को पूरा करने के लिए स्थानीय बुनकर सेवा केंद्रों (डब्ल्यूएससी) या स्थानीय डीसी हथकरघा और हस्तशिल्प से मदद लेनी होगी और प्रदेय प्रस्तुत करने होंगे। छात्र क्लस्टर (केवल सीबीडीपी के मामले में) की यात्रा कर सकता है या नहीं कर सकता है।
- ii. नई क्लस्टर पहल के अनुसार, 'शिल्प शोध और दस्तावेजीकरण' और अन्य शिल्प से संबंधित विषय 'स्टैंड-अलोन' विषय नहीं हैं। इसलिए, अंतरराष्ट्रीय सेमेस्टर एक्सचेंज के कारण इन विषयों को नहीं करने वाले छात्रों को बाद की तारीख में इन गतिविधियों को शुरू करने से छूट दी जा सकती है।
- iii. आपात स्थिति में, जैसे कि एक चिकित्सा मुद्दा, जहां छात्र शिल्प क्लस्टर गतिविधि शुरू करने/पूरा करने में असमर्थ है, छात्र को विषय संकाय को सूचित करने की आवश्यकता है और लिखित रूप में स्पष्ट रूप से आपातकालीन की प्रकृति और विच्छेदन के लिए कारण निर्दिष्ट करना चाहिए,। शिल्प क्लस्टर फील्ड यात्रा को छोड़ने वाले छात्र लौटने के लिए अपनी यात्रा की व्यवस्था स्वयं करेंगे और डीएसए, यात्रा और संबंधित गतिविधि व्यय के पात्र नहीं होंगे। निफ्ट के नियमों के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक अवधि के भीतर लंबित विषय या परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी भी छात्र की होगी।
- iv. उपस्थिति की कमी के कारण छात्र को 'एफ' ग्रेड/दोहराने वाला सेमेस्टर प्राप्त करेगा, कैंपस के आसपास के भीतर, एक क्लस्टर में अपने स्वयं के खर्चों पर गतिविधि को फिर से करेगा। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, निफ्ट से पहले प्राप्त किसी भी धन जैसे डीएसए, रियायती किराया आदि की वसूली निफ्ट द्वारा की जाएगी। (यदि कोई छात्र किसी भी कारण से सेमेस्टर दोहरा रहा है और उसने पिछले प्रयास में सीआरडी और सीबीडीपी को ग्रेड 'बी' या उससे अधिक के साथ मंजूरी दे दी है, तो छात्र को शिल्प गतिविधि दोहराने की आवश्यकता नहीं है, और ग्रेड को आगे बढ़ाया जाएगा।
- v. शिल्प क्लस्टर से संबंधित विषय की री-ज्यूरी के लिए बाहरी जूरी पैनल को विभाग के सीसी द्वारा सीआईसी के माध्यम से कैंपस निदेशक से अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। ज्यूरी कंपीटिशन में कैंपस और सीआईसी के किसी अन्य विभाग से दो वरिष्ठ संकाय शामिल होंगे।

- vi. क्षेत्र यात्रा के दौरान आचार संहिता का गलत व्यवहार या उल्लंघन करने वाले छात्रों पर, निफ्ट संस्थागत नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सजा दी जाएगी। छात्रों द्वारा कृत आपराधिक अपराध के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

13. इंटरनशिप के साधन

उद्योग इंटरनशिप कार्यक्रम में छात्रों को उद्योग से परिचित करवाया जाता है और छात्रों को उद्योग के कार्यकलापों का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इससे उनके कक्षा ज्ञान का उद्योग अनुप्रयोग के साथ मिश्रण होता है।

अवधि : 8 सप्ताह का समय:

स्नातक-पूर्व : 6वें और 7वें सेमेस्टर के बीच, स्नातकोत्तर: दूसरे से तीसरे सेमेस्टर के बीच

स्थान : भारत के भीतर या भारत के बाहर

इंटरनशिप संगठन : यह कैंपस में संबंधित विभाग के सीसी द्वारा आरआईसी के साथ समन्वय में सुविधा है।

समर इंटरनशिप करने वाले सभी कार्यक्रम संबंधित विभागों के माध्यम से किए जाएंगे।

13.1. प्रक्रिया

- i. इंटरनशिप अवधि और सारणी - ऊपर उल्लिखित कार्यक्रम में 8 सप्ताह की अवधि के लिए इंटरनशिप होती है।
- ii. आरआईसी विभागों के सीसी के साथ परामर्श करके डेटाबेस अद्यतन करेंगी, कंपनियों से संपर्क करेंगी, ब्रोशर भेजेंगी और अनुवर्ती कार्रवाई करेंगी, छात्रों के सीवी इकट्ठा करेंगी और समन्वय करेंगी।
- iii. कंपनी में विशिष्ट छात्र आवंटन सीसी द्वारा किया जाएगा।
- iv. इंटरनशिप साक्षात्कार - कुछ कंपनियां इंटरनशिप के लिए चुनने से पहले छात्रों के साक्षात्कार कराना पसंद करती हैं। साक्षात्कार विशिष्ट निफ्ट कैंपसों में आयोजित किए जाने होंगे। सीसी के परामर्श से आरआईसी ऐसी गतिविधियों का समन्वय करेगी।

13.2. छात्रों को ब्रीफ करना

- i. इंटरनशिप पर जाने से पूर्व छात्र को इंटरनशिप के लिए पत्र की प्रति प्राप्त करने की सलाह दी जाती है (उद्योग को संबोधित)।

- ii. प्रत्येक छात्र, सर्वेक्षण के संचालन के लिए प्रस्थान करने से पहले, उन स्थानों और फेशन उद्योग इकाइयों की स्थिति से परिचित होगा जहां वह उपलब्ध प्रकाशित सामग्री पढ़कर, व्यापार सूचना/पुस्तकालयों आदि से संपर्क करके दौरा कर रहा है।
- iii. उद्योग में जाने के बाद, छात्रों को उद्योग के संपर्क व्यक्ति/एचआरडी प्रबंधक/एमडी के सत्यापन के साथ "जॉइनिंग रिपोर्ट" भेजने की सलाह दी जाती है।
- iv. इंटरनशिप पूरी करने के बाद छात्रों को इंटरनशिप उद्योग से एक "कार्य-मुक्तिपत्र" एकत्र करने की सलाह दी जाती है।
- v. छात्रों को समय-समय पर संगठन प्रभारी द्वारा तय किए गए सभी कार्य दिवसों पर फैक्टरी या कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। प्रशिक्षु को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार कंपनी के नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करें।
 - क) रिपोर्टिंग के बारे में समय की पाबंदी
 - ख) कारखाने/कार्यालय कैंपस में फोटोग्राफी
 - ग) स्वेच, ट्रिम्स और अन्य माल का संग्रह जो संस्थान में उनकी प्रस्तुति के लिए आवश्यक हो सकता है।
 - घ) विभिन्न संगठनात्मक प्रारूपों का संग्रह
 - ड) ढांचागत सुविधाओं का उपयोग करना
- vi. इंटरन को समय-समय पर संगठन प्रभारी द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने की भी आवश्यकता होती है।
- vii. छात्रों द्वारा की जाने वाली उद्योग इंटरनशिप के लिए, छात्रों को अपने माता-पिता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होता है।
- viii. इंटरनशिप के दौरान यदि छात्र को कोई समस्या है तो उन्हें सहायता के लिए अपने इंटरनशिप समन्वयक/विभागीय सीसी से संपर्क करना चाहिए।
- ix. डिजाइन छात्रों को जो इंटरनशिप के लिए परिधान संग्रह (इंटरनशिप के दौरान तैयार) लाने के लिए आवश्यक है और बाद में, उद्योग से एक "अनापत्ति" प्रमाणपत्र विभाग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अन्यथा छात्र के इंटरनशिप के अंक रोक दिए जाएंगे।
- x. सभी छात्रों को शैक्षणिक योजना में निर्दिष्ट संस्थान के पुनः खुलने के दिन अपने संबंधित संस्थान को वापस रिपोर्ट करना चाहिए।

14. निफ्ट में परीक्षाएं और मूल्यांकन

निफ्ट में अपनाई गई कार्यक्रम संरचना को पैरा 12 में समझाया गया है और इसके बाद क्रेडिट सिस्टम को पैरा 13 पर समझाया गया है।

निफ्ट छात्रों के मूल्यांकन और मूल्यांकन की दिशा में एक बहु विधि दृष्टिकोण अपनाता है। सभी निफ्ट कैंपसों में सभी कार्यक्रमों के लिए सभी विषयों के लिए सेमेस्टर के माध्यम से निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में नीचे दिए गए विभिन्न घटक शामिल होंगे:

- i. सतत मूल्यांकन
- ii. अंत अवधि परीक्षा (ETE)
- iii अंत अवधि जूरी (ETJ)

मूल्यांकन भारिता: सभी विषयों के लिए मूल्यांकन भारिता इस प्रकार है:

व्यक्तिगत विषयों में प्राप्त अंक घोषित नहीं किए जाएंगे। परिणाम में केवल ग्रेड घोषित किए जाएंगे। असाइनमेंट अंक (60%) छात्रों द्वारा देखे जा सकते हैं लेकिन अंत अवधि (40%) अंक नहीं देखे जा सकते।

मूल्यांकन प्रकार	मूल्यांकन के लिए भारिता	
	आंतरिक मूल्यांकन	अंतिम अवधि का आकलन
अलग-अलग विषय	60	40
सामान्य ऐच्छिक	60	40

अन्य स्टैंड-अलोन विषयों के लिए मूल्यांकन भारिता इस प्रकार है:

अंक का%	मूल्यांकन के लिए भारिता			
	संकाय मॉटर	उद्योगमॉटर	आंतरिक जूरी	बाहरी जूरी
इंटरनशिप	40	20	-	40
स्नातकपरियोजना	20	20	20	40
डिजाइन संग्रह	20	-	40	40
शोध/शोध प्रबंध	20	-	40	40
शिल्प शोध और डॉक्यूमेंटेशन	40	-	20	40

छात्र के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार फाउंडेशन कार्यक्रम, सभी बड़ी कंपनियों और प्रगाढ़ विशेषज्ञताओं, आईडीएम और सामान्य ऐच्छिक (अनिवार्य और वैकल्पिक) को शुरू करना

अनिवार्य है। अर्जित किए जाने वाले क्रेडिट की न्यूनतम संख्या में फाउंडेशन कार्यक्रम, सामान्य ऐच्छक, बड़ी कंपनियों, प्रगाढ़ विशेषज्ञताओं और अंतर अनुशासनात्मक नाबालिगों के लिए क्रेडिट शामिल होंगे।

- i. छात्र को यूजी के लिए न्यूनतम 242 क्रेडिट और पीजी के लिए 124 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे, जो प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत निर्दिष्ट किए जाएंगे।
- ii. छात्र को अंतिम सेमेस्टर में न्यूनतम 32 क्रेडिट अंक प्राप्त करने होंगे।
- iii. स्नातक-पूर्वछात्र ज्वाइनिंग के वर्ष से 6 वर्ष के अंतराल में डिग्री कार्यक्रम पूरा कर सकता है जबकि स्नातकोत्तरछात्र ज्वाइनिंग के वर्ष से 4 वर्ष में कार्यक्रम पूरा कर सकता है।
- iv. यदि किसी छात्र को दोहराने वाला सेमेस्टर मिलता है, तो जीईएस सहित स्टैंडअलोन विषयों के लिए छूट प्रदान की जाती है, जहां उसने उत्तीर्ण ग्रेड हासिल किया है जब छात्र सेमेस्टर दोहराता है अर्थात् छात्रों द्वारा सुरक्षित ग्रेड को बरकरार रखा जाएगा और छात्र को या तो कक्षाओं में भाग लेने या उस विषय के लिए परीक्षा के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
- v. सिद्धांत विषयों के लिए सैद्धांतिक अवधारणाओं की समझ का मूल्यांकन करने के लिए अंतावधि लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा गैर-इंटरैक्टिव और निर्दिष्ट समयावधि की होगी और इसमें 40 अंकों की भारिताहोगी।
- vi. छात्र के लिए अगले सेमेस्टर के लिए पदोन्नत होने के लिए, यह अनिवार्य है कि छात्र चल रहे सेमेस्टर के दौरान किए गए सभी विषयों के लिए अंतिम अवधि के मूल्यांकन की परीक्षा देता है।

14.1. पुनर्मूल्यांकन

- i. इच्छुक छात्र कैंपस निदेशक की मंजूरी से सीएसी के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर ही लिखित परीक्षाओं के लिए पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ii. पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन संबंधित कैंपस में परिणाम घोषित करने के पांच कार्य दिवसों के भीतर किया जाना चाहिए और 100 रुपये प्रति विषय शुल्क के साथ किया जाना चाहिए।
- iii. पुनर्मूल्यांकन के दौरान यह देखा जाएगा कि क्या सभी उत्तरों की जांच की गई है और अंकों का जोड़ सही है।
- iv. पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया अनुरोध प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जाएगी।

14.2. परीक्षा के आयोजन के लिए सामान्य दिशानिर्देश

14.2.1. परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता मानदंड

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले छात्रों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी:

- i. संस्थान को सभी शुल्क और बकाया राशि का भुगतान किया है।
- ii. एक सेमेस्टर में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- iii. एक सेमेस्टर में अलग-अलग विषयों में 65 % उपस्थिति अनिवार्य है।

14.2.2. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा विनियम

- i. अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन से पहले के स्थानों से परिचित होना चाहिए और परीक्षा शुरू होने से कम से 20 मिनट पहले कमरे में पहुंचना चाहिए और निर्धारित परीक्षा समय से 10 मिनट पहले अपनी सीट ले लेनी चाहिए। पहले 20 मिनट पूरे होने के बाद परीक्षा हॉल में देर से आने वाले छात्रों को अनुमति नहीं है। परीक्षा शुरू होने से 01 घंटे की अवधि समाप्त होने से पहले कोई भी छात्र परीक्षा हॉल नहीं छोड़ सकता है।
- ii. अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में बैग, किताबें या मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। उन्हें कमरे के बाहर छोड़ देना चाहिए। छात्रों द्वारा लाया गया कीमती सामान अपने जोखिम पर होगा।
- iii. अभ्यर्थियों को केवल परीक्षा के लिए आवश्यक अपने मूल लेखन उपकरणों को एक साथ अपने डेस्क पर प्रश्नपत्र के रूब्रिक में निर्दिष्ट परीक्षा स्टेशनरी के साथ होना चाहिए। कंटेनर, जैसे पेंसिल केस, डेस्क से हटा दिया जाना चाहिए।
- iv. यदि परीक्षा अनुमत करती है तो ऐसे कैलकुलेटर का उपयोग किया जा सकता है जिसे पहले से प्रोग्राम नहीं किया हो। वर्णमाला इनपुट वाले कैलकुलेटर का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- v. परीक्षा हॉल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे घड़ी, मोबाइल फोन, ईयर फोन आदि की अनुमति नहीं होगी। छात्रों को परीक्षा हॉल में केवल एनालॉग घड़ियां पहननी चाहिए।
- vi. अभ्यर्थी को जब परीक्षा चल रही है तो किसी भी बहाने से किसी अन्य अभ्यर्थी से बात नहीं करनी चाहिए, या कोई संवाद नहीं करना चाहिए। कोई भी अभ्यर्थी प्रश्न पूछना चाहता है तो उसे हाथ उठाकर पर्यवेक्षक से पूछना चाहिए।
- vii. सभी कच्चा कार्य उत्तर पुस्तिका में किया जाना चाहिए और उसे काट देना चाहिए (कच्चे कार्य के लिए अतिरिक्त कागज का इस्तेमाल या जारी नहीं किया जाए)।
- viii. यह सुनिश्चित करना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है कि कोई भी ढीला या अतिरिक्त शीट को जमा करने से पहले दिए गए टैग का उपयोग करके उत्तर पुस्तिका के भीतर सुरक्षित रूप से बांध दें। चित्र को उत्तर पुस्तिका के भीतर फिट करने के मोड़ दें।

- ix. उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा समाप्त होने पर या इससे पहले यदि अभ्यर्थी ने परीक्षा समाप्त कर ली है तो पर्यवेक्षक द्वारा एकत्र की जाएंगी। अभ्यर्थियों को अपनी सीटों पर तब तक रहना चाहिए जब तक उनकी उत्तर पुस्तिकाएं संग्रहित नहीं हो जाती।
- x. यदि परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी को इनमें से किसी भी नियम के उल्लंघन में या किसी अनुचित साधन के उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो तथ्यों की सूचना सीसी, सीओई को दी जाएगी जो इस पर कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे।
- xi. जिन छात्रों को आईसीटीटी के अंतर्गत स्थानांतरण आवंटित किया गया है, वे सेमेस्टर के लिए आवंटित नए कैंपस में परीक्षा देंगे ।
- xii. इन विनियमों के विपरीत किसी उम्मीदवार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई, चाहे परीक्षा के दौरान या बाद में पाई गई हो, उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर सकती है।

15. एसजीपीए/सीजीपीए के ग्रेड और गणना का देना

छात्रों को पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार ग्रेड प्रदान किया जाएगा, जिसे नीचे दिए गए रूपांतरण के अनुसार ग्रेड अंक में परिवर्तित किया जाएगा:

ग्रेड	ग्रेड अंक	विवरण
O	10.0	अति उत्कृष्ट
A+	=>9.0<10.0	उत्कृष्ट
A	=>8.0<9.0	बहुत अच्छा
B+	=>7.0<8.0	अच्छा
B	=>6.0<7.0	संतोषजनक/ पर्याप्त
C	=>5.0<6.0	औसत
D	=>4.0<5.0	कम पास
F	<4.0	असफल

एक छात्र को एक प्रमुख विषयों में 'सी' का न्यूनतम ग्रेड प्राप्त करना होता है, विशेषज्ञताओं का गहन ज्ञान प्राप्त करना होता है, और आईडीएम और सामान्य ऐच्छिक में 'डी' का न्यूनतम ग्रेड और विषय में "पास" घोषित करने के लिए फ्लोटिंग करना होता है।

एक छात्र जो किसी भी फ्लोटिंग विषय में भाग लेता है और न्यूनतम उपस्थिति अर्थात् 65% के मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन अंतिम अवधि की परीक्षा में बैठने में विफल रहता है, को ऑडिट

के लिए एक ग्रेड "एल" दिया जाएगा जिसे ग्रेड अंक में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। हालांकि, ग्रेड शीट उपरोक्त ग्रेड के साथ विषय को प्रतिबिंबित करेगी।`

16. फॉलो-अपपरीक्षा

- i. यदि अंतिम अवधि के मूल्यांकन के दौरान किसी छात्र का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसे फॉलोअप प्रदान किया जाएगा।
- ii. छात्र को सामान्य ऐच्छिक को छोड़कर एक सेमेस्टर में अधिकतम दो विषयों में फॉलो-अप के लिए बैठने की अनुमति दी जाएगी।
- iii. यदि कोई छात्र तीन या अधिक विषयों (स्टैंड अलोन विषयों को छोड़कर) में विफल रहता है, तो उसे सेमेस्टर दोहराना होगा। (ऐसे मामलों के लिए फॉलोअप का कोई प्रावधान नहीं है) ।
- iv. अंत सेमेस्टर मूल्यांकन के अनुसार छात्र का मूल्यांकन 40 प्रतिशत तक किया जाएगा। प्रत्येक छात्र के अंतिम परिणाम की गणना करते समय आंतरिक असाइनमेंट मूल्यांकन के 60% घटक पर विचार किया जाएगा।
- v. परिणाम और फॉलोअप कार्यक्रम निफ्ट सीएमएस और आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- vi. सभी छात्रों को फॉलोअप शेड्यूल के बारे में जानकारी देना कैंपस सीएसी की जिम्मेदारी है।
- vii. फॉलोअप के लिए प्रति विषय 2,000 रुपये का शुल्क लागू होगा।
- viii. उस विषय में जहां छात्र को आगे की गणना के लिए ग्रेड 'पास' के विरुद्ध '4' का फॉलो-अप ए ग्रेड पॉइंट दिया जाएगा। ग्रेड 'पास' को ग्रेड शीट पर 'पी' द्वारा दर्शाया जाएगा।
- ix. फॉलो-अप के बाद एक भी विषय में असफल छात्रों को सेमेस्टर दोहराने की आवश्यकता होगी।

16.1. प्रक्रिया आधारित विषयों में फॉलो-अप:

- i. यदि कोई छात्र प्रक्रिया आधारित विषय (जिस विषय में कौशल परीक्षा को अंतिम अवधि की परीक्षा के रूप में आयोजित किया गया था) में विफल रहता है, तो इस विषय के लिए छात्र को फॉलो-अप दिया जाएगा। अंत सेमेस्टर मूल्यांकन के अनुसार छात्र का मूल्यांकन 40 प्रतिशत तक किया जाएगा।
- ii. छात्र को परिणाम की घोषणा के एक सप्ताह के भीतर कैंपस समन्वयक (विषय संकाय द्वारा दिए गए) द्वारा फॉलो-अप असाइनमेंट का ब्रीफ भेजा जाएगा। इस ब्रीफ में स्पष्ट प्रदेय और प्रस्तुति की समय-सीमा होगी। छात्र अवधारणाओं पर काम करना शुरू कर देगा और दी गई

समयसीमा के अनुसार विषय संकाय को रिपोर्ट करेगा। छात्र अगले सेमेस्टर के शुरू होने से एक सप्ताह पहले कैंपस में रिपोर्ट कर फॉलो अप असाइनमेंट भी पूरा कर लेगा। छात्रों को कार्य की प्रगति का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक लॉगबुक बनाए रखना आवश्यक होगा, जिस पर प्रयोगशाला सहायक/संकाय द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे। लॉगबुक के साथ असाइनमेंट सप्ताह के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा और अंक कैंपस सीओई को भेजे जाएंगे।

- iii. ऐसे मामलों में छात्रों के अंकपत्र पर 'एफ' ग्रेड के साथ-साथ बाद में 'पी' ग्रेड को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

16.2. लिखित परीक्षा के लिए फॉलो-अप:

यदि कोई छात्र थ्योरी-आधारित विषय में विफल रहता है, जहां एक लिखित परीक्षा अंत अवधि परीक्षा के रूप में आयोजित की जाती है, तो छात्र को फॉलो-अप प्रदान किया जाएगा। छात्र को परिणाम की घोषणा के एक सप्ताह के भीतर कैंपस समन्वयक (विषय संकाय द्वारा दिए गए) द्वारा फॉलो-अप असाइनमेंट/अनुसंधान के विषयों के लिए एक ब्रीफ भेजा जाएगा। इस ब्रीफ में स्पष्ट प्रदेय और प्रस्तुति समय-सीमा शामिल होगी। प्रस्तुति और लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित अंकों का प्रतिशत भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।

छात्र अवधारणाओं पर काम करना शुरू कर देंगे और समयसीमा के अनुसार विषय संकाय को रिपोर्ट करेंगे। छात्र अगले सेमेस्टर के शुरू होने से एक सप्ताह पहले कैंपस में रिपोर्ट कर फॉलो अप असाइनमेंट भी पूरा कर लेगा। असाइनमेंट प्रस्तुति /लिखित परीक्षा इस सप्ताह के अंत में आयोजित की जाएगी और सीओई-कैंपस को अंक भेजे जाएंगे।

ऐसे मामलों में छात्रों के अंकपत्र पर 'एफ' ग्रेड के साथ-साथ बाद में 'पी' ग्रेड को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

16.3. उद्योग इंटरनशिप/शिल्प आधारित अनिवार्य विषयों के लिए फॉलो-अप

- i. उद्योग इंटरनशिप/शिल्प आधारित अनिवार्य विषयों में असफल छात्रों के मामले में; इस प्रक्रिया को अपनी संपूर्णता में दोहराया जाएगा और पाठ्यक्रम के अनुसार अनुमोदित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। छात्रों को उनके जीपी के लिए आगे बढ़ने से पहले अपने अंतिम सेमेस्टर के पूरा होने के बाद इसे दोहराना होगा।
- ii. ऐसे मामलों में छात्रों के अंकपत्र पर 'एफ' ग्रेड के साथ-साथ बाद में 'पी' ग्रेड को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

16.4. स्नातक परियोजना/अनुसंधान परियोजना/डिजाइन संग्रह/शोध प्रबंध के लिए अनुवर्ती कार्रवाई:

अंतिम सेमेस्टर में छात्रों को स्नातकपरियोजना/शोधपरियोजना/डिजाइन कलेक्शन/शोध प्रबंध शुरू करना होता है। इसकी आंतरिक जूरी में विफल रहने वाले छात्रों के मामले में, उन्हें परियोजना पर फिर से काम करने के लिए फॉलो-अपदिया जाएगा और उन्हें मौका दिया जाएगा:

- i. बाहरी जूरी से कम से दो दिन पहले आंतरिक जूरी से उचित अनुमोदन के बाद संशोधित कार्य (मामूली संशोधन के मामले में) के साथ बाहरी जूरी के समक्ष उपस्थित होते हैं। ऐसे मामलों में जिन छात्रों को अनुसूचित बाहरी जूरी को काम प्रस्तावित करने की मंजूरी दिए जाने से पहले आंतरिक री-जूरी के लिए बुलाया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और आंतरिक जूरी में अधिकतम 50% अंक दिए जाएंगे।
- ii. यदि बड़े संशोधन की आवश्यकता है, तो सेमेस्टर समाप्त होने के तीन महीने के भीतर आंतरिक और बाह्य की फॉलो-अप जूरी का आयोजन किया जाएगा और यदि कार्य संतोषजनक स्तर का पाया जाता है, तो परिणाम घोषणा के दिन/दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्री प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों में छात्रों के अंकपत्र पर 'एफ' ग्रेड के साथ-साथ बाद में 'पी' ग्रेड को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
- iii. यदि बाहरी जूरी काम की सिफारिश नहीं करती है या किसी छात्र ने परियोजना को बहुत देर से शुरू किया है या उद्योग से अपेक्षित सप्ताह की संख्या के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर पाया है, तो छात्र को फॉलो-अप में उपस्थित होना होगा। यदि कार्य संतोषजनक स्तर का पाया जाता है तो छात्र को पास माना जाएगा और दीक्षांत समारोह के दौरान (यदि बाद में आयोजित किया जा रहा है) के दौरान पास होने के दिन डिग्री प्रदान की जाएगी। फॉलो-अप के बाद पास होने वाले सभी छात्रों के अंकपत्र पर 'एफ' ग्रेड के साथ-साथ बाद में 'पी' ग्रेड को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: GE Optional (GEO) के लिए कोई फॉलो-अप परीक्षा नहीं होगी क्योंकि विषय एक स्टैंडअलोन है और छात्र को क्रेडिट पूरा करने के लिए बाद के सेमेस्टर्स में अतिरिक्त GE का विकल्प चुनना होगा। GEM में फेल हुए छात्रों को विषय दोहराना ही होगा।

17. राष्ट्रीय संसाधन केंद्र का उपयोग करने के लिए मानदंड

प्रत्येक निफ्ट कैंपस में संसाधन केंद्र (आरसी) ज्ञान प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण इनपुट का मिलान और प्रसार करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। निफ्ट संसाधन केंद्र का नेटवर्क भारत में फैशन सूचना नेटवर्क है जो फैशन व्यवसायियों के अलावा निफ्ट के फैशन शिक्षकों और छात्रों की सेवा कर रहा है। प्रत्येक संसाधन केंद्र, संस्था और उद्योग के बीच एक इंटरफेस के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि यह फैशन उद्योग के उद्यमियों और फ्रीलांसरों को सूचना सेवाएं प्रदान करता है।

निफ्ट एनआरसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल हैं:

- i. **संदर्भ सेवा:** उच्च योग्य व्यावसायिक स्टाफ के सदस्य संदर्भ डेस्क के साथ-साथ ऑनलाइन संदर्भ सेवाएं प्रदान करते हैं।
- ii. **ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओपीएसी):** छात्र और संकाय वेब-आधारित ऑनलाइन सार्वजनिक पहुंच सूची के माध्यम से संसाधन केंद्रों के संग्रह में अभिग्रहण के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।
- iii. **ग्रंथसूची सेवा:** प्रासंगिक विषयों पर विषय ग्रंथसूची ऑनलाइन उपलब्ध हैं और मांग पर किसी भी ग्रंथसूची का प्रिंट आउट प्रदान किया जाता है।
- iv. **वर्तमान जागरूकता:** संसाधन केंद्रों के संग्रह में नए अतिरिक्त के बारे में सेवा जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है।
- v. **रिप्रोग्राफिक सर्विस:** सभी आरसी के उपयोगकर्ताओं को चयनात्मक फोटोकॉपी और स्कैनिंग की रिप्रोग्राफिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

17.1. एनआरसी का उपयोग करने के लिए छात्रों के लिए नियम

- i. नियमित और सतत शिक्षा कार्यक्रमों के छात्रों को संसाधन केंद्र की सदस्यता के लिए ट्यूशन शुल्क के साथ-साथ प्रतिभूति जमा और आरसी/पुस्तकालय शुल्क का भुगतान करना होता है। एक छात्र को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के दौरान पंजीकरण और नवीकरण के समय शुल्क की रसीद की एक प्रति जमा करनी होती है।
- ii. प्रत्येक नियमित छात्र को केवल दो सेमेस्टर के लिए वैध पुस्तकालय ऋण कार्ड दिया जाता है।
 - छात्रों को जारी की जाने वाली पुस्तक की संख्या नीचे दी गई है:
 - यूजी कार्यक्रमों के छात्र - 7 दिनों के लिए 1 पुस्तक
 - पीजी कार्यक्रमों के छात्र - 7 दिनों के लिए 2 पुस्तकें
 - ब्रिज कार्यक्रमों के छात्र - 15 दिनों के लिए 2 पुस्तकें
 - पीएचडी कार्यक्रम के छात्र - 30 दिनों के लिए 4 पुस्तकें
 - सीई कार्यक्रमों के छात्र - 7 दिनों के लिए 1 पुस्तक
- iii. जो पुस्तक पहले ही जारी की जा चुकी है उसे आरक्षित करने के लिए छात्र को सर्कुलेशन डेस्क/ऑनलाइन पर रिजर्व स्लिप भरने की आवश्यकता होती है। पत्रिकाओं, संदर्भ संग्रह, ऑडियो-विजुअल सामग्री और अन्य गैर-प्रिंट सामग्रियों को केवल संसाधन केंद्र में परामर्श किया जा सकता है और उन्हें छात्रों और अन्य सदस्यों को जारी नहीं किया जाता है।

- iv. यदि उधार ली गई पुस्तक समय पर नहीं लौटाई जाती है, तो अतिदेय जुर्माना लिया जाएगा। सभी छात्रों, अतिथि संकाय और संसाधन केंद्र के अन्य सदस्यों से प्रतिदिन 5 रुपये प्रतिदिन का अतिदेय जुर्माना वसूला जाता है।
- v. यदि कोई छात्र नियत तिथि से 120 दिनों के भीतर एक अतिदेय पुस्तक लौटाने में विफल रहता है, तो उधार की गई पुस्तक की लागत और अतिदेय जुर्माना कोई भी सूचना जारी किए बिना 120 दिनों के बाद किसी भी समय सुरक्षा जमा से काट लिया जाएगा।
- vi. यदि सीई कार्यक्रम का कोई छात्र कार्यक्रम के पूरा होने से पहले एक अतिदेय पुस्तक 7 (सात) दिन लौटाने में विफल रहता है, तो कार्यक्रम के पूरा होने तक उधार की गई पुस्तक की लागत और अतिदेय जुर्माने को बिना किसी सूचना जारी किए सुरक्षा जमा से काट लिया जाएगा।
- vii. अन्य पुस्तकों के जारी करने से पूर्व खोई गई अथवा छतिग्रस्त पुस्तकों के लिए भुगतान किया जाना चाहिए अन्यथा इसे प्रतिभूति सुरक्षा जमा से काट लिया जाएगा।
- viii. गैर-जारी की गई पुस्तकों/अन्य संसाधन केंद्र सामग्री के साथ पुस्तकालय छोड़ने वाले छात्रों को दंडित किया जाएगा। वे केंद्र के नियम के अनुसार जुर्माना अदा करेंगे और उन्हें एक सेमेस्टर के लिए संसाधन केंद्र का उपयोग करने से रोक दिया जाएगा।
- ix. वाचनालय और स्टैंक रूम के अंदर सेल फोन पर बात कर की अनुमति नहीं है। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नियम का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- x. संसाधन केंद्र के अंदर बैग, खाने, पीने और धूम्रपान की अनुमति नहीं है। कैंची और तेज कटान के उपकरण भी प्रतिबंधित हैं। संसाधन केंद्र के बाहर गैर-पुस्तकालय पुस्तकें, ब्रीफकेस और पैकेज छोड़ दिया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्तिगत सामान के नुकसान/चोरी के लिए संसाधन केंद्र उत्तरदायी नहीं है।
- xi. छात्र संसाधन केंद्र के उपयोग से संबंधित नवीनतम नियमों के लिए वर्तमान छात्र नियमों और विनियमों का उल्लेख कर सकते हैं।

18. छात्रों के आवास सेवाओं के लिए मानदंड

- i. निफ्ट के पास छात्रावास में प्रवेश का अधिकार सुरक्षित है। निफ्ट प्रबंधन किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी छात्र को छात्रावास में प्रवेश से इंकार या रद्द कर सकता है, अगर उसके पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि उसकी उपस्थिति निफ्ट या अन्य छात्रों के हित के लिए हानिकारक होगी।
- ii. प्रवेश फार्म पोस्ट एडमिशन काउंसलिंग के समय छात्रों को उपलब्ध कराए जाते हैं। आवेदन पत्र भरने होंगे, जिसमें माता-पिता के नाम और पते (टेलीफोन नंबर, यदि कोई हो) और

स्थानीय अभिभावकों की सही जानकारी देनी होगी। इसमें किसी भी बदलाव को बिना किसी नुकसान के अधिसूचित किया जाना है। निफ्ट, किसी भी समय छात्रावासी के माता-पिता के किसी भी आधिकारिक दस्तावेज की मांग यह प्रमाणित करने के लिए कर सकता है कि घोषित पता वास्तविक है या नहीं। निफ्ट छात्रावास की सुविधा केवल शहर के बाहर से आने वाले वास्तविक छात्रों के लिए है, जहां केंद्र स्थित है।

- iii. छात्र को छात्रावास केवल सेमेस्टर अवधि के लिए दिया जाता है और सभी छात्रावासियों को गर्मी के ब्रेक के दौरान अपने सामान के साथ-साथ अपने कमरे खाली करने होते हैं। इसी तरह छात्रों को सर्दियों के दौरान यदि वैकल्पिक उपयोग, मरम्मत, रखरखाव आदि के लिए निफ्ट प्रबंधन द्वारा कमरों की आवश्यकता होती है तो किसी आम जगह पर अपना सामान रखने के लिए कहा जा सकता है।
- iv. यदि छात्र किसी भी कारण से कमरा खाली कर देते हैं और कोई अन्य किसी वास्तविक आधार पर कमरा लेना चाहता है तो ऐसे मामले पर केवल उस सेमेस्टर के लिए या प्रबंधन द्वारा अनुमत ऐसी अवधि के लिए, कमरों की पात्रता और उपलब्धता पर विचार किया जाएगा।
- v. छात्र शनिवार और रविवार को प्रातः 9:00 बजे से सांय 6:00 बजे के बीच आगंतुकों से मिल सकते हैं।
- vi. निफ्ट उन लोगों के लिए चार आगंतुक पास जारी करेगा जिनकी सिफारिश छात्रावास में शामिल होने के समय माता-पिता/छात्रों द्वारा की जाएगी। छात्रावास में ज्वाइनिंग के समय उनकी फोटो जमा करनी होती है।
- vii. छात्रावासी की एक महिला परिवार के सदस्य को आवास की उपलब्धता के अधीन, एक सेमेस्टर में अधिकतम 7 दिनों के लिए छात्रावास में रहने की अनुमति दी जा सकती है। अतिथि/आगंतुकों के ठहरने के लिए प्रतिदिन निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। छात्रावास में बतौर अतिथि रहकर परिवार का सदस्य छात्रावास की संपत्ति की सुरक्षा और साफ-सफाई के लिए उत्तरदायी होगा। निफ्ट का कोई भी मित्र संबंधित सीसी की सिफारिश पर अतिथि हो सकता है।

18.1. छात्रावास आचरणनियम

- i. निफ्ट निवासी छात्रों को छात्रावास में और बाहर अपने व्यवहार के लिए अनुशासन, मर्यादा और औचित्य के उच्चतम मानकों का पालन करना आवश्यक है।
- ii. निफ्ट छात्रावास के निवासी छात्रों को अपने अतिथियों के लिए निफ्ट के छात्रावास की सुविधाओं का प्रयोग करने की अनुमति है। कोई भी व्यक्ति जो छात्रावास का निवासी नहीं है,

छात्रों को आवंटित किसी भी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा और केवल निर्धारित सामान्य क्षेत्र में उनसे मिल सकता है। छात्रावास के कमरे में अनधिकृत प्रवेश आपराधिक अपराध मन जाएगा और उसपर अभियोजन चलाया जाएगा।

- iii. निफ्ट निवासी छात्रों को ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहिए, जो अन्य छात्रों या पड़ोसियों के लिए चिढ़, असुविधा और कठिनाई का कारण हो।
- iv. निफ्ट निवासी छात्रों को कैंपस में किसी भी विषैले पदार्थ का सेवन करने की अनुमति नहीं है। कमरे/कैंपस के भीतर धूम्रपान भी कड़ाई से निषिद्ध है। विपरीत लिंग के छात्र के रिश्तेदारों को अपने कमरे में एक दूसरे से मिलने की अनुमति नहीं है।
- v. निफ्ट निवासी छात्रों को रात्रि 10:00 बजे तक कमरे में प्रवेश करना होता है। यदि वे उचित औचित्य के बिना देर से आते हैं तो चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा। यदि यह प्रथा जारी रहती है तो छात्रों के अभिभावकों को अवगत कराने के अलावा छात्रावास से निष्कासन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।
- vi. निफ्ट का कोई भी छात्र अधिकतम 8 सप्ताह के लिए इंटर्नशिप या उद्योग कार्यक्रम के लिए दूसरे कैंपस के छात्रावास में रह सकता है। यदि छात्र छात्रावासी नहीं है तो वह अतिथि शुल्क के बजाय मासिक आधार पर छात्रावास शुल्क का भुगतान करेगा।
- vii. ऐसे सभी छात्र नया सेमेस्टर शुरू होने से एक सप्ताह पहले छात्रावास खाली कर देंगे।
- viii. निफ्ट निवासी छात्रों को छात्रावास के साथ-साथ पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जा सकता है, यदि वे निम्नलिखित में से किसी के दोषी पाए जाते हैं: -
 - (क) छात्रावास या बाहर किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या दुराचार का कोई कार्य।
 - (ख) आवेदन-पत्र में या बाद में अनुमति मांगते समय झूठीया गलत या अधूरी जानकारी देना आदि।
 - (ग) निर्धारित अवधि में बकाया राशि के भुगतान में चूक।
 - (घ) शोर और अभद्र और अमर्यादित पार्टियों का आयोजन और किसी भी अनधिकृत व्यक्तियों को अपने कमरे में आने के लिए आमंत्रित करना ।
 - (ङ) बार-बार रात में देर से रिपोर्ट करने के साथ-साथ कोई भी कार्य , जो निफ्ट प्रबंधन को शर्मिंदगी का कारण बने, उसे अनुशासन के उल्लंघन के रूप में मानने के लिए पर्याप्त आधार होगा।
- ix. निफ्ट निवासी छात्रों को अपने स्थानीय अभिभावक /माता-पिता के आवास पर रात के लिए बाहर रहने की अनुमति तभी दी जा सकती है जब निर्धारित प्रपत्र में अनुमति मांगने के

लिए लिखित अनुरोध किया जाता हो। रात के लिए किसी भी अनधिकृत अनुपस्थिति अनुशासनहीनता का कार्य मन जाएगा। सभी नाइट आउट प्रपत्रों की प्रतियां अभिभावकों को जानकारी के लिए भेजी जाएंगी।

- x. निवासी छात्र, छात्रावास कैंपस में किसी भी विद्युत स्थापना और किसी अन्य उपकरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यदि किसी भी प्रतिष्ठान को कोई नुकसान होता है, तो छात्र नुकसान की राशि के साथ-साथ उचित जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- xi. उन्हें निफ्ट इलेक्ट्रीशियन द्वारा पूर्व अनुमति और जांच के साथ उचित रूम हीटर का उपयोग करने की अनुमति है।
- xii. छात्रों/छात्रावासी को उपयोग में नहीं होने पर रोशनी, पंखे, गीजर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- xiii. छात्रों को खुली छड़, गर्म प्लेट या ऐसी किसी भी वस्तु के साथ रूम हीटर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे कमरों में आग लग सकती है। ऐसी चीजें रखने पर जुर्माना वसूला जाएगा और उन वस्तुओं को जब्त कर लिया जाएगा।
- xiv. छात्रों को मोमबतियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। उन्हें बिजली के अभाव में टॉर्च लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।
- xv. किसी कूलर, एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर की अनुमति नहीं है।

19. निफ्ट में चिकित्सा सुविधाएं

सभी कैंपसों में एक चिकित्सा डॉक्टर और कैंपस में एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर के माध्यम से छात्रों, संकाय और कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं। छात्रों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

छात्रों को विशिष्ट चिंताओं के लिए संकाय संरक्षक और/या विभाग के कैंपस समन्वयक द्वारा काउंसलर के पास भेजा जाता है।

पुरानी बीमारी के मामले में, छात्रों को कैंपस समन्वयक और कम से कम 2 छात्रों (कक्षा में और छात्रावास/आवास में) को संभावित लक्षणों के बारे में जानकारी देने की सलाह दी जाती है और तत्काल सहायता दी जानी चाहिए।

यदि छात्र को अस्पताल में भर्ती कराना है तो एसडीएसी जल्द से जल्द स्थानीय अभिभावक/अभिभावक से संपर्क कर उन्हें स्थिति से अवगत कराएगा।

20. छात्र पाठ्येतर गतिविधियां

छात्र विकास गतिविधियों के अंतर्गत, प्रत्येक कैंपस निफ्ट छात्रों के लिए निफ्ट छात्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित करता है। इन्हें एक मनोनीत संकाय सदस्य/एस छात्र विकास गतिविधि समन्वयक (एसडीएसी) द्वारा समन्वित किया जाता है। क्लबों की गतिविधियों में अंतर विभाग और अंतर कॉलेज प्रतियोगिताएं, सामाजिक कार्यक्रम, सेमिनार, अतिथि व्याख्यान, फिल्मी रातें और अन्य शामिल हैं। छात्र एसडीए क्लबों के माध्यम से गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में भाग ले सकते हैं, अर्थात्:

- i. सांस्कृतिकक्लब
- ii. साहित्यिकक्लब
- iii. स्पोर्ट्स क्लब
- iv. एडवेंचर और फोटोग्राफी क्लब
- v. नैतिकता और समाज सेवाक्लब
- vi. पर्यावरण क्लब
- vii. या निदेशक-निफ्ट की अनुमति से कोई अन्य क्लब।

छात्र ओरिएंटेशन कार्यक्रम के समय विभिन्न क्लबों को चुनने के अपने विकल्पों का प्रयोग करेंगे। क्लबों का नेतृत्व क्लब सलाहकार कर रहे हैं, जिन्हें कैंपस निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा। प्रत्येक क्लब में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के आयोजन के लिए एक कार्यकारी परिषद होगी, जिसे या तो क्लब के सामान्य निकाय द्वारा नामित या निर्वाचित किया जाएगा।

20.1. फैशन स्पेक्ट्रम

यह कैंपसों में पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियां एक साथ प्रत्येक वर्ष करने के लिए आयोजित किया जाएगा। क्षेत्र के अन्य शैक्षिक संस्थानों के छात्रों को प्रतिस्पर्धी या गैर-प्रतिस्पर्धी भावना में एक साथ लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। फैशन स्पेक्ट्रम का आयोजन दो दिनों के लिए किया जाएगा, जिनमें से एक शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित सारणी के अनुसार कार्यकारी दिवस के स्थान पर सप्ताहांत (शनिवार/रविवार) होना चाहिए। हालांकि, फैशन स्पेक्ट्रम के लिए काम करने वाले सभी शैक्षणिक और प्रशासन कर्मियों को प्रतिपूरक अवकाश दिया जाएगा।

400 से कम छात्रों वाले एक कैंपस के लिए 10 छात्रों या 400 और उससे ऊपर के छात्रों वाले कैंपस के लिए 20 छात्रों की एक कोर टीम कैंपस निदेशक के अनुमोदन से एसडीएसी परिषद द्वारा बनाई जाएगी। कोर टीम प्रायोजन की व्यवस्था सहित फैशन स्पेक्ट्रम के सभी प्रारंभिक कार्य के लिए

उत्तरदायी होगी। कोर टीम के सदस्यों को फैशन स्पेक्ट्रम से पहले के सभी विषयों में अधिकतम 15 (पंद्रह) घंटे के लिए उपस्थिति की छूट दी जाएगी और उनकी उपस्थिति की गणना अनुपातिक आधार पर की जाएगी।

प्रत्येक वर्ष स्नातक बैच के अलावा अन्य बैच के छात्रों में से संबंधित कैंपसों के दीक्षांत समारोह में किसी छात्र को "छात्र ऑफ द ईयर" से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में एक प्रमाणपत्र, 11,000 रुपये का नकद पुरस्कार और स्वर्ण पदक शामिल है।

20.2. निफ्ट कनवर्ज

अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से, किसी भी एक निफ्ट कैंपस में प्रतिवर्ष एक अंतर-कैंपस सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम-कनवर्ज -का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक निफ्ट कैंपस में प्रारंभिक चयन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कैंपस का सर्वश्रेष्ठ इस कार्यक्रम में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करे। इस कार्यक्रम में सहकर्मी अभिग्रहण और ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। इस वार्षिक आयोजन से छात्रों को कैंपसों से सर्वोत्तम प्रथाओं को देखने और आत्मसात करने की भी अवसर मिलेगा।

21. छात्रों के लिए विशेष सेवाएं

निफ्ट गूगल एप्स पर प्रबंधित डोमेन nift.ac.in पर सभी छात्रों, संकाय और अधिकारियों को संस्थागत ईमेल प्रदान करता है। संस्थागत ई-मेल के किसी भी गलत संचार/दुरुपयोग से बचने के लिए ये ईमेल निष्क्रिय हो जाते हैं। कैंपस, छात्रों को अपने पाठ्यक्रमों/शैक्षणिक कार्यक्रमों के पूरा होने के समय सूचित कर सकते हैं कि यदि आवश्यक हो तो अपने ईमेल का बैकअप लें।

21.1. निफ्ट वाईफाई

दाखिले के समय छात्रों को विशिष्ट नाम और पासवर्ड के जरिए कैंपस वाईफाई की सुविधा दी जाती है। वे इसका उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए कर सकते हैं।

21.2. अंतर्राष्ट्रीय सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए शुल्क में छूट

निफ्ट सेमेस्टर में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के लिए शुल्क छूट उन संस्थानों को भुगतान की गई सीटों पर जाने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी जिनके साथ निफ्ट के पास पारस्परिक व्यवस्थाएं हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्र संबंधित संस्थान के साथ एमओयू के अनुसार निफ्ट या विदेशी विश्वविद्यालय में शुल्क का भुगतान करें।

21.3. शिक्षा ऋण

निफ्ट के छात्र शिक्षा ऋण ले सकते हैं। निफ्ट, हालांकि, ऋण की अदायगी के लिए कोई वित्तीय जिम्मेदारी वहन नहीं करेगा। कैंपस निदेशक/संयुक्त निदेशक इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए छात्र को एक पत्र जारी करेंगे। इसके लिए प्रारूप संलग्नक 5-पी में है।

मासिक व्यय के रूप में पत्र में दर्ज की जाने वाली राशि प्रत्येक कार्यक्रम में भिन्न होगी और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में संबंधित कैंपस के शैक्षणिक विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।

21.4. सेमेस्टर दोहराने वाले छात्रों के लिए सुविधाएं

संस्थान की निम्नलिखित सुविधाएं चिन्हित की गई हैं, जिसका उपयोग छात्रों द्वारा कैंपसों में उनकी रोक (एलओए /दोहराने) अवधि के दौरान किया जा सकता है:

- i. निफ्ट पुस्तकालय और संसाधन केंद्र का उपयोग।
- ii. पूर्व नियुक्ति द्वारा संकाय का परामर्श और परामर्श।
- iii. छात्र संबंधित गतिविधियों जैसे छात्र क्लब आदि में शामिल होने के लिए एसडीएसी से संपर्क कर सकते हैं।
- iv. छात्र निफ्ट से उद्योग विजिट, फील्ड स्टडी आदि के लिए सिफारिशी पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- v. छात्र सहायक कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधन केंद्र में छात्रों की नियुक्ति, जिसके लिए उन्हें वजीफा मिलेगा।
- vi. निफ्ट ई और ई नीति के अनुसार छूट।

21.5. प्रायोजन में योगदान के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन

जब भी किसी निफ्ट गतिविधि (शैक्षणिक/सह पाठ्यक्रम/पाठ्येतर) के लिए प्रायोजन की आवश्यकता होती है, तो छात्रों को इसे उगाहने के लिए 10% धन देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, जो अन्य प्रकार के खर्चों को कवर करेगा। प्रत्येक कैंपस में छात्र योगदान के लिए एसडीएसी 10% राशि जारी करने के लिए प्रमाणित करेगा।

22. निफ्ट के नियमित यूजी/पीजीकार्यक्रम के छात्रों के लिए छात्र इंटर कैंपस अस्थाई स्थानांतरण नीति (आईसीटीपी)

इस नीति का उद्देश्य चरम चिकित्सा या व्यक्तिगत विस्तार के आधार पर एक निफ्ट कैंपस से छात्रों को एक सेमेस्टर के लिए दूसरे सेमेस्टर में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का प्रावधान है।

- i. चरम चिकित्सा आधार छात्र की गंभीर/जीवन- संकट वाली बीमारी के कारण तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता को दर्शाता है।

- ii. व्यक्तिगत विस्तार आधार माता पिता की मृत्यु /भाई या छात्र के माता पिता के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान की आवश्यकता शामिल हैं। परिवार में किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु को अत्यधिक विस्तार का आधार नहीं माना जाएगा।
- iii. एक सेमेस्टर के लिए उपरोक्त आधार पर इंटर कैंपस स्थानांतरण के लिए प्रावधान छात्रों को अपने निजी जीवन में हुए अत्यधिक संकटों को संभालने का अवसर प्रदान कर सकता है।
- iv. इंटर कैंपस अस्थायी स्थानांतरण अनुरोध छात्रों के लिए अधिकार का विषय नहीं है। यदि निफ्ट अनुरोध को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है, तो छात्र निफ्ट की ओर से बिना किसी देयता के निफ्ट से हट सकता है। इसके अलावा, निफ्ट का बिना कोई कारण बताए साक्ष्यों को सत्यापित करने और/या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

22.1. आईसीटी की प्रयोज्यता

- i. यह नीति निफ्ट के सभी नियमित यूजी और पीजी छात्रों पर लागू है।
 - क. यूजी पाठ्यक्रमों के लिए: पहले दो सेमेस्टर्स में और अंतिम दो सेमेस्टर्स में कोई इंटर कैंपस स्थानांतरण अनुरोधों पर न तो विचार किया जाएगा और न ही अनुमति दी जाएगी।
 - ख. पीजी पाठ्यक्रमों के लिए: पहले सेमेस्टर में और अंतिम सेमेस्टर में कोई इंटर कैंपस स्थानांतरण अनुरोधों पर न तो विचार किया जाएगा और न ही अनुमति दी जाएगी।
- ii. इंटर कैंपस अस्थायी स्थानांतरण केवल एक सेमेस्टर के लिए लागू होता है जिसके बाद छात्र अपने मूल कैंपस में लौट जाएंगे।
- iii. इंटर कैंपस अस्थायी स्थानांतरण निफ्ट में अध्ययन की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार एक छात्र को प्रदान किया जा सकता है।

22.2. आईसीटी की प्रक्रिया

- i. संबंधित छात्र स्थानांतरण फॉर्म (आईसीटीटी फॉर्म) भरेंगे और सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अपने-अपने कैंपस में जमा करेंगे ।
- ii. चरम चिकित्सा आधार पर इंटर कैंपस अस्थायी स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड (पी-एमबीजीएच) से प्रोफार्मा जमा करना होता है।
- iii. चिकित्सा आधार पर आईसीटी के अनुरोधों को स्वीकार करते समय छात्रों/अभिभावकों को यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सिफारिश में किसी प्रकार की संदेह/स्पष्टता के मामले में आईसीटीटी पर विचार नहीं किया जाएगा।

- iv. छात्रों को फार्मेट (यू-आईसीटीटी) के अनुसार वचन-पत्र देना होगा कि वे निफ्ट के सक्षम अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करेंगे।
- v. कैंपस स्थानीय शैक्षणिक मानक समिति (एलएससी) द्वारा विधिवत अनुशंसित पूर्ण आईसीटी फॉर्म एए, मुख्यालय को भेजा जाएगा।
- vi. जांच के बाद, प्रत्येक निफ्ट कैंपस छात्रों के आईसीटी अनुरोधों को समेकित सारांश पत्रक (एस-शीट) के साथ हेड-एएमुख्यालय को अद्योषित करेगा।
- vii. आईसीटीटी के लिए निफ्ट कैंपसों से प्राप्त अनुरोधों की समीक्षा निफ्ट, मुख्यालय में शैक्षणिक अपील समिति द्वारा की जाएगी। प्रत्येक मामले के संबंध में शैक्षणिक अपील समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए महानिदेशक के समक्ष रखा जाएगा।
- viii. छात्रों की जानकारी के लिए स्थानांतरणमामलों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

22.3. आईसीटी के लिए अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क

इंटर कैंपस अस्थायी स्थानांतरण की प्रक्रिया से संबंधित सभी शुल्क एए, मुख्यालय के डीडीएफ में जमा होंगे। शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	शुल्क
1.	आईसीटी के लिए आवेदन	500.00
2.	आईसीटी के अनुरोध से इंकार/रद्द करने के लिए जुर्माना	2,500.00

23. निफ्ट के नियमित यूजी/पीजीकार्यक्रम के छात्रों के लिए छात्रस्थाईस्थानांतरण (एसपीटी) नीति

इस नीति का उद्देश्य प्रथम सेमेस्टर में सीट रिक्ति की स्थिति के मुकाबले तीसरे सेमेस्टर में छात्रों के स्थायी तबादले का प्रावधान उपलब्ध कराना है।

छात्र निम्नलिखित कारणों पर स्थानांतरण की मांग कर सकते हैं:

- i. एक ही निफ्ट कैंपसमें विषय परिवर्तन
- ii. किसी अन्य निफ्ट कैंपस में विषय परिवर्तन
- iii. विषय परिवर्तन के बिना निफ्ट कैंपस में परिवर्तन

23.1. एसपीटी नीति की प्रयोज्यता

- i. यह नीति निफ्ट के सभी कैंपसों में द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ने वाले नियमित यूजी/पीजी छात्रों पर लागू होती है।

- ii. निफ्ट कैंपस परिवर्तन का प्रावधान सभी यूजी और पीजी छात्रों पर लागू होगा जबकि विषय में बदलाव केवल यूजी डिजाइन के छात्रों पर ही लागू होगा।
- iii. स्थायी स्थानांतरण के अनुरोध पर छात्र की योग्यता की तुलना में सीट रिक्ति की स्थिति पर विचार किया जाएगा।
- iv. इंटर कैंपस स्थाईस्थानांतरण छात्रों का अधिकार नहीं है।

23.2. एसपीटी की प्रक्रिया

- i. स्थायी स्थानांतरण में रुचि रखने वाले छात्र एसपीटी प्रपत्र और यू-एसपीटी के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में एक वचन-पत्र भरेंगे। एसपीटी प्रपत्र, वचन-पत्र और सभी सहायक दस्तावेज एसपीटी कैलेंडर के अनुसार नियत तिथि पर या उससे पहले संबंधित निफ्ट कैंपस में जमा किए जाएंगे।
- ii. शैक्षणिक मामले विभाग निफ्ट द्वारा निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के घटते क्रम में एक समेकित सूची तैयार की जाएगी:

क्र.सं.	विवरण	भारिता
1	प्रवेश के लिए निफ्ट प्रवेश परीक्षा का रैंक (श्रेणीवार)	40%
2	प्रथम सेमेस्टर का सीजीपीए	40%
3	उपस्थिति रिकॉर्ड	20%
कुल अंक		100%

23.3. एसपीटी के लिए अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क

शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	शुल्क रुपये में
1.	एसपीटी	500.00
2.	एसपीटी से इंकार/रद्द	10,000.00

24. छात्र सहायक कार्यक्रम (एसएपी)

निफ्ट का छात्र सहायक कार्यक्रम उन छात्रों की सहायता के लिए बनाया गया है जिन्होंने वित्तीय आवश्यकता की इच्छा व्यक्त की है। प्रत्येक निफ्ट कैंपस के छात्र विकास गतिविधि समन्वयक (एसडीएसी) छात्रों से उन्हें संसाधन केंद्र, प्रयोगशाला, सीई कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। नियोक्ता विभाग के साथ एसडीएसी इस कार्यक्रम के लिए छात्र की पात्रता निर्धारित करता है।

एसएपी के अंतर्गत एसडीएसी दो कार्यक्रम प्रदान करता है: कैंपस जॉब कार्यक्रम और ऑफ-कैंपस अवसर;

- i. कैंपस जॉब कार्यक्रम: इस कार्यक्रम को निफ्ट द्वारा कैंपस में विभागों के माध्यम से वित्त-पोषित किया जाता है और शनिवार और देर से घंटों के लिए छात्रों को अंशकालिक रोजगार प्रदान किया जाता है। सभी विभागों को छात्रों की सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता में निफ्ट सहायता के लिए संभव के रूप में अनेक कैंपस नौकरियों के रूप में बजट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- ii. ऑफ-कैंपस जॉब कार्यक्रम: एसडीएसी एसएपी कार्यक्रम छात्रों को ऐसे कार्य करने के लिए समुदाय में काम करने का अवसर भी प्रदान करता है जो उनकी रचनात्मक ऊर्जा को दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्देशित करेगा, जबकि वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को बढ़ाएंगे। छात्र रोजगार के लिए एसडीएसी से संपर्क करने वाला संगठन व्यावसायिक रूप में विश्वसनीय होना चाहिए।

जब भी एसडीएसी को इच्छुक कंपनियों से अनुरोध प्राप्त होता है, समुदाय में रोजगार के अन्य अवसर छात्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इच्छुक कंपनियां प्रत्येक केंद्र पर एसडीएसी के साथ रोजगार नियुक्तियों की सूची बना सकती हैं। इन पदों को एक एसडीएसी जॉब बोर्ड पर तैनात किया जाएगा। एसडीएसी केवल ऑफ कैंपस नौकरियों के लिए एक लिंकिंग निकाय के रूप में कार्य करेगा।

निफ्ट के किसी भी छात्र को बिना किसी सूचना के कैंपस से बाहर की नौकरी लेने की अनुमति नहीं है।

24.1. उपलब्ध नौकरियों के प्रकार

एसडीएसी छात्रों को कई विविध रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। निफ्ट के भीतर उपलब्ध संसाधन कैंपस में या समुदाय के भीतर रोजगार के लिए रिक्तियों का पता लगाने में छात्रों की सहायता करेंगे। नौकरियों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

शोधसहायक, शिक्षण सहायक, प्रयोगशाला सहायक, डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर सपोर्ट, पुस्तकालय सहयोगी, वेब डिजाइन, समुदाय सेवा, डाटा विश्लेषण।

निफ्ट में छात्रों के लिए अन्य प्रकार के रोजगार कार्यक्रम हो सकते हैं। प्रत्येक विभाग की आवश्यकता यह निर्धारित करेगी कि इनमें से कौन सा कार्यक्रम किस छात्र के लिए उपयुक्त होगा।

24.2. क्या करें और क्या न करें

छात्रों को पता होना चाहिए कि कॉलेज ऐसे कृत्यों और व्यवहार को सहन नहीं करेगा जो अनुत्पादक या कॉलेज के लिए हानिकारक हो। ये आमतौर पर गैर अनुपालन या कदाचार के बुनियादी कृत्यों हैं और अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से इन्हें संभाला जाता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की घटनाओं के उदाहरण हैं:

- i. अनुपालन न करने के कार्य
 - क. संतोषजनक निष्पादन बनाए रखने में विफलता।
 - ख. कार्य समय का दुरुपयोग और अत्यधिक अनुपस्थिति।
 - ग. विफलता या कॉलेज के नियमों के प्रति दोहराव उपेक्षा ।
 - घ. सहयोग की कमी।
- ii. कदाचार के कृत्य
 - क. हिंसा के कृत्य।
 - ख. जान-माल को खतरे में डाल देना।
 - ग. उत्पीड़न।
 - घ. गोपनीय सूचनाओं का उल्लंघन या दुरुपयोग।
 - ङ. ड्रग्स या अल्कोहल के प्रभाव में काम करना।
 - च. चोरी या धोखाधड़ी और विघटनकारी व्यवहार।
 - छ. मिथ्या-प्रस्तुति या अधिकार का दुरुपयोग।
 - ज. हितों के वास्तविक टकराव का प्रकटन करने में विफलता।

24.3. एसएपी के लिए प्रक्रिया

छात्र द्वारा रोजगार लेने का निर्णय लेने पर उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए चाहिए:

- i. छात्र एसडीए समन्वयक से एसएपी छात्र आवेदन पत्र एकत्र करके और उसे भरने के बाद, इसे एसडीए समन्वयक को प्रस्तुत करता है। प्रपत्र पर विभाग के कैंपस समन्वयक द्वारा संबंधित छात्र के प्रपत्र पर विधिवत हस्ताक्षर करने चाहिए।
- ii. निफ्ट विभाग रोजगार के संभावित अवसरों के लिए सरकार को अनुरोध भेजते हैं, जिसमें नौकरी के लिए आवश्यक समय, योग्यता और कौशल निर्दिष्ट किया जाता है।
- iii. एसडीए समन्वयक नियोक्ता विभाग के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था करता है। इस साक्षात्कार के दौरान, इच्छुक छात्र नियोक्ता विभाग के प्रतिनिधि के साथ वर्तमान नियुक्तियों के बारे में अपने हितों पर चर्चा करते हैं।
- iv. विभाग प्रतिनिधि अंतिम निर्णय करता है कि वे छात्र को नियुक्त करेंगे या नहीं। यदि निर्णय नकारात्मक है तो छात्र एसडीएसी में वापस आता है और उसे दूसरे विभाग में रेफर कर दिया जाता है।
- v. छात्रों को प्रति घंटा के आधार पर भुगतान किया जाता है और छुट्टियों, अवकाशों, जूरी ड्यूटी, अस्वस्थता छुट्टी, या अनुपस्थिति कि छुट्टी के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। छात्र और विभाग दोनों ही काम करने वाले समय का सही रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं।

24.4. छतिपूर्ति

- i. छात्र को नियुक्त करने के मापदंड
 - क. संसाधन केंद्र के लिए प्रतिमाह 100 घंटे तक।
 - ख. आईटी प्रयोगशाला के लिए प्रति माह 100 घंटे तक।
 - ग. सीई कार्यक्रमों के लिए प्रति माह 30 घंटे तक (25 के न्यूनतम बैच के साथ)।
- ii. कर्मचारी के लिए पैरामीटर
 - क. रुपए 150 प्रति घंटे प्रति छात्र।
 - ख. अधिकतम 10 घंटे प्रति सप्ताह जब कक्षाएं सत्र में हैं; छुट्टी के दौरान प्रति सप्ताह 30 घंटे।
 - ग. छात्रों को एक प्रति घंटा मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
- iii. निफ्ट कैंपस में छात्र रोजगार के लिए दो वर्गीकरण हैं।

क. श्रेणी 1 - (द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र) आवश्यक कौशल और अनुभव: बेहद सीमित कार्य और उत्तरदायित्व। श्रेणी 1 पदों के लिए छात्र को ज्यादा जिम्मेदारी संभालने की आवश्यकता नहीं है और नौकरी प्रशिक्षण और करीबी नियोक्ता पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। उदाहरण: पुस्तकालय सहायक।

ख. श्रेणी II - (चतुर्थ वर्ष और स्नातकोत्तर छात्र) आवश्यक कौशल और अनुभव: विशिष्ट कौशल। कर्तव्य और उत्तरदायित्व : उत्तरदायित्व की निश्चित डिग्री की धारणा। उदाहरण: पुस्तकालय सहायक, पर्यवेक्षक, वर्ड प्रोसेसिंग प्रचालक, प्रयोगशाला शोध, कंप्यूटर प्रयोगशाला मॉनिटर आदि।

25. छात्र पुरस्कार

25.1. दीक्षांत पुरस्कार

निफ्ट छात्रों को दीक्षांत समारोह के दौरान तीन श्रेणियों के पुरस्कारों से सम्मानित करता है:

- i. निफ्ट सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिकनिष्पादन पुरस्कार
- ii. निफ्ट असाधारण सेवा पुरस्कार
- iii. निफ्ट स्टूडेंट ऑफ द इयर पुरस्कार

25.2. निफ्ट स्नातक समारोह पुरस्कार

निफ्ट पुरस्कार संबंधित विषयों के लिए विभिन्न श्रेणियों में स्नातक कार्यक्रमों (प्रदर्शनी/फैशन शो/राष्ट्रीय परिधान शिखर सम्मेलन/टेकनो टॉक आदि) के दौरान प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार बाहरी जूरी द्वारा तय किए जाते हैं और मूल्यांकन मानदंडों की संबंधित श्रेणियों में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र को दिए जाते हैं। विभिन्न विषयों के विवरण पर संबंधित केंद्र समन्वयक से चर्चा की जा सकती है।

25.3. उद्योग प्रायोजित पुरस्कार

छात्रों के लिए अन्य पुरस्कार हो सकते हैं, जो उद्योग, पूर्व छात्रों आदि द्वारा प्रायोजित हैं। ये अलग-अलग कैंपस में अलग-अलग हो सकते हैं। इस प्रकार के पुरस्कारों का ब्यौरा समय-समय पर छात्रों को परिचालित किया जाएगा।

26. छात्रों के लिए शिकायत समाधान प्रक्रिया

प्रत्येक निफ्ट कैंपस में सुझाव बक्से रखे जाते हैं और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सुझाव/शिकायतों को उनमें डाल दें। इन सुझावों/शिकायतों की जांच कैंपस के निदेशक/एसडीएसी द्वारा की जाएगी।

27. निफ्ट के छात्रों का यौन उत्पीड़न

निफ्ट किसी छात्र द्वारा सूचित किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न मामले में शून्य सहनशीलता में विश्वास करता है। यह छात्र से छात्र या निफ्ट कर्मचारी से छात्र के प्रति हो सकता है। यदि किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो इस मामले को तत्काल कैंपस समन्वयक और कैंपस एसडीएसी के ध्यान में लाने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए विशिष्ट मानदंड हैं और शिकायतों का संचालन कैंपस निदेशक द्वारा गठित समितियों द्वारा किया जाएगा।

यदि छात्र से प्राप्त शिकायत के विरुद्ध छात्र (शारीरिक उत्पीड़न या आभासी से संबंधित है जो आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आने वाले खंडों से संबंधित है) से है, तो आरोपी छात्र को जांच होने तक तत्काल निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आरोपी छात्र को निफ्ट से निष्कासन की सीमा तक गंभीर सजा भुगतनी पड़ सकती है।